

चेतना



महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - ॥ बिहार,
पटना का कार्यालय



दिनांक 1-9-97 को श्री अरुण कुमार सिंह, महालेखाकार (ले० एवं ह०)-II, बिहार, पटना के कर-कमलों से हिन्दी-पखवाड़ा-समारोह के उद्घाटन का दृश्य।

आवरण-पृष्ठ परिचय

राँची से 156 किलोमीटर दूर, समुद्र-तल से 3700 फीट ऊँचे पठार पर स्थित सुप्रसिद्ध सैरगाह नेतरहाट में तरु-शिखा से सूर्योदय एवं सूर्यास्त का रमणीय दृश्य।



चेतना

अर्द्धवार्षिक हिन्दी पत्रिका
(नवम अंक)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II, बिहार, पटना
का कार्यालय

वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001



स्वत्वाधिकार

: महालेखाकार (ले० एवं ह०) II, बिहार, पटना ।

प्रकाशन

: चेतना

प्रकाशक

: महालेखाकार (ले० एवं ह०)- II, बिहार, पटना
का कार्यालय, पटना-800 001

अंक

: नवम अंक
मार्च, 1998

मूल्य

: हिन्दी-सेवा

मुद्रक

: मित्रम् प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स

लिख साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक
वृष्टि न मिले, हममें गति और शक्ति न पैदा हो, हमारा सौन्दर्य प्रेम न
जागृत हो, जो हममें संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची
दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का
अधिकारी नहीं है ।

-- प्रेमचन्द



चेतना परिवार

संरक्षक :

श्री अरुण कुमार सिंह
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II, बिहार, पटना

प्रकाशन परामर्शदातृ समिति :
श्री प्रवीण कुमार तिवारी
उप-महालेखाकार, बिहार, पटना

श्री सतीश चन्द्र राउत
उप-महालेखाकार, बिहार, पटना

श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र
वरिष्ठ लेखा अधिकारी, बिहार, पटना

श्री ललन प्रसाद श्रीवास्तव
वरिष्ठ लेखा अधिकारी, बिहार, पटना

सम्पादक मण्डल :

सम्पादक : डॉ० जितेन्द्र कुमार
अनुभाग अधिकारी, हिन्दी कक्ष

संयुक्त सम्पादक : श्री नरेन्द्र कुमार सिंह 'नाहर'
वरिष्ठ लेखाकार, हिन्दी कक्ष

क्रम सं०	विषय	लेख	रचयिता	पृष्ठ सं०
1.	चेतना परिवार			3
2.	अनुक्रमणिका			4
3.	महालेखाकार का संदेश			5
4.	उपमहालेखाकार (प्रशासन एवं पेन्शन) का संदेश			6
5.	उप-महालेखाकार (जी० ई० एवं निधि) का संदेश			6
6.	सम्पादकीय			7
7.	आपके पत्र	लेख	श्री अरुण कुमार सिंह	8
8.	आर्थिक उदारीकरण के कुछ विचारणीय पहलू	निबन्ध	डॉ० खगेन्द्र ठाकुर	10
9.	हिन्दी जब नयी चाल में ढली	कविता	सुश्री सुमन तिग्गा	14
10.	चिराग जो बुझ गया	लेख	श्री राजेन्द्र प्रसाद रजक	17
11.	प्यार	लेख	डॉ० जितेन्द्र कुमार	18
12.	नारी-भावना	कविता	श्री पीयूष ओझा	19
13.	कैची चली	निबन्ध	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह 'नाहर'	24
4.	ईमानदारी	लेख	श्री अजीत कुमार सिन्हा	25
5.	घरेलू प्रशिक्षण-एक सही प्रयास	गजल	श्री आशुतोष झा	28
6.	गजल			29
7.	ज्योतिष कुण्डली में राहु-केतु का प्रभाव	निबन्ध	श्री ललन प्रसाद श्रीवास्तव	30
8.	निम्न आय वर्गीय परिवार की व्यथा और शराब	लेख	श्री राम बाबू राम	34
9.	अग्नि से बचाव	संस्मरण	श्री बंशीधर मिश्र	36
10.	माँ	कविता	श्री चन्द्रिका सिंह	37
11.	सोचने का ढंग	कहानी	श्री राम सुभग राम	38
12.	तेरी याद किया करता हूँ	कविता	श्री शशि भूषण प्रसाद	40
13.	बच्चों की शिक्षा: माता-पिता की भूमिका	लेख	श्री उमेश चौधरी	41
14.	अपने आपको पहचानें	लेख	डॉ० इन्द्रदेव सिंह	43
15.	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1996-97 के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य			44

प्रका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचारों से महालेखाकार कार्यालय का सहमन होना आवश्यक है। ये रचनाकारों के निजी विचार हैं। साथ ही रचना की मौलिकता के लिए रचनाकार स्वयं ज़िम्मेदार हैं।

—सम्पादक

महालेखाकार (ले० एवं ह०) - II, बिहार, पटना का संदेश

हिन्दी एक प्रवहमान एवं सशक्त भाषा है। वह आन्तरिक शक्ति को विकसित करने के लिए बाह्य प्रभावों एवं परिस्थितियों से शक्ति-संचय करती हुई निरन्तर विकासशील रही है। हिन्दी भाषा का शब्द-भण्डार विपुल एवं विशाल है। वह बाहर के उपयुक्त शब्द को ग्रहण करने में संकोच नहीं करती है। उसने विदेशी शब्दों को उदारतापूर्वक अपनाकर अपने शब्द-भण्डार की भी वृद्धि की है तथा अपने संरचनात्मक रूप को अक्षुण्ण रखा है। उदारतापूर्वक शब्द-ग्रहण करने की प्रकृति के कारण ही हिन्दी आज एक गतिशील एवं प्रगतिशील भाषा बन सकी है। अपनी इसी विशेषता के कारण वह हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। वस्तुतः हिन्दी संजीवनी शक्ति से ओत-प्रोत है।

हिन्दी भारत-भूमि से उत्पन्न भारत की राष्ट्रभाषा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ से रामेश्वरम् तक और द्वारिकापुरी से जगन्नाथपुरी तक प्रत्येक भारतवासी हिन्दी की वाणी को समझता है। इस विशाल भू-भाग की अधिकांश पत्र-पत्रिकाएँ भी हिन्दी में प्रकाशित होती हैं। पूर्व में संस्कृत भाषा हमारे धर्म, दर्शन, जीवन-संदेश, आचार-विचार आदि की वाहिका एवं संरक्षिका थी। आज वही स्थान एवं गौरव हिन्दी को प्राप्त है, क्योंकि हिन्दी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। अतएव भारतीय संस्कृति का संरक्षण हिन्दी के ही माध्यम द्वारा सम्भव है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप “राष्ट्रभाषा” के रूप में “हिन्दी” को सरकारी काम-काज की भाषा बनाने में राजभाषा

विभाग की राजभाषा-नीतियों को शत-प्रतिशत कार्यान्वित करना हम सभी का पुनीत कर्तव्य है। उक्त उद्देश्यों से ही अनुप्राणित होकर हमारे कार्यालय द्वारा हिन्दी पत्रिका ‘चेतना’ का प्रकाशन किया जाता रहा है।

मुझे यह कहते हुए अपार आनन्द हो रहा है कि पत्रिका का यह नवम अंक हमारे प्रेमी एवं सहृदय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे पढ़कर वे लाभान्वित एवं आनन्दित होंगे।

मैं उन समस्त लेखकों एवं पत्रिका के सम्पादक-मंडल तथा परामर्शदातृ समिति को बधाई देते हुए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने अपनी अनमोल कृतियों एवं सूझ-बूझ से पत्रिका को रंगमय, गंधमय, गीतमय बनाया है। आशा है, भविष्य में भी वे अपने जीवंत प्रयास से पत्रिका के भाव एवं सौन्दर्य को निखारते रहेंगे।

आखिर में अपनी अन्तर्भावना व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारी पत्रिका ‘चेतना’ दिन-प्रतिदिन कार्यालय में सृजनात्मक प्रतिभाओं का उद्घाटन करती रहे और हिन्दी-प्रयोग की प्रगति के निमित्त सृजन-चेतना का आलोक हम सभी के दिल-दिमाग में भरती रहे।

अरुण कुमार सिंह
महालेखाकार (ले० एवं ह०)-II,
बिहार पटना

उप-महालेखाकार (प्रशासन एवं पेंशन), बिहार, पटना का संदेश

अपार हर्ष की बात है कि कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को उत्प्रेरित करने के निमित्त अर्द्धवार्षिक पत्रिका 'चेतना' का नवम अंक अविलम्ब प्रकाशित होने जा रहा है।

आशा है, यह पत्रिका न केवल सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि हिन्दी में सृजन-सामर्थ्य को उद्भासित करने में भी सहायता प्रदान करेगी।

पत्रिका की भावपूर्ण रचनाओं के लिए तमाम रचनाकारों

एवं उसके सफल सम्पादन हेतु सम्पादक-मंडल को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पत्रिका की पूर्ण सफलता की शुभकामना व्यक्त करता हूँ।

प्रवीण कुमार तिवारी,
उप-महालेखाकार (प्रशासन एवं पेंशन),
बिहार, पटना।

उप-महालेखाकार (जी० ई० एवं निधि), बिहार, पटना का संदेश

मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि कार्यालयीन हिन्दी पत्रिका 'चेतना' का नवम अंक सुधी एवं सहृदय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

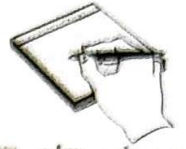
पत्रिका में संकलित रचनाओं को पढ़ने से पता चलता है कि रचनाकारों ने न केवल पाठकों में 'हिन्दी' के प्रति जागृति का शंखनाद किया है, बल्कि अभिव्यक्ति को विभिन्न आयामों में आबद्ध करने का भी सफल प्रयास किया है। अतएव सुरुचिपूर्ण एवं सशक्त

रचनाओं के लिए समस्त रचनाकारों तथा सम्पादक-मंडल को उनके भगीरथ-प्रयास के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

पत्रिका के सम्यक् विकास की मंगल कामना।

सतीश चन्द्र राउत
उप-महालेखाकार (जी० ई० एवं निधि),
बिहार, पटना।

सम्पादकीय



मुझे आप सहृदय पाठकों के समक्ष इस कार्यालय की हिन्दी पत्रिका 'चेतना' के नवम अंक को प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। यह इस कार्यालय के राजभाषा-उद्यान का नवम पुष्प है। यह कहाँ तक चित्ताकर्षक हो सका है इसका निर्णय सुधी पाठक ही कर सकते हैं।

इस पत्रिका ने राजभाषा के प्रति पाठकों की चेतना को सदा जगाया है। इस पत्रिका ने कार्यालय के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों का राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति रुझान बढ़ाने में एवं राजभाषा हिन्दी के वार्षिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित कराने में अपेक्षित सहयोग दिया है। इतना ही नहीं, इस लेखा-कार्यालय के शुष्क एवं नीरस वातावरण में इसने रस की मन्दाकिनी भी प्रवाहित की है।

यह कार्यालय 'क' क्षेत्र में है और यह हिन्दी के लिए अधिसूचित कार्यालय है। यहाँ समस्त शासकीय कार्य हिन्दी में होते हैं। यहाँ के सभी कर्मचारी एवं अधिकारी हिन्दी में काम करने में अपना गौरव महसूस करते हैं। इस कार्यालय का सौभाग्य है कि जितने भी महालेखाकार अबतक आए हैं वे सभी हिन्दी के प्रेमी रहे हैं। वर्तमान महालेखाकार श्री अरुण कुमार सिंह जो इस पत्रिका के संरक्षक भी हैं, हिन्दी के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। उन्होंने कार्यालय में हिन्दी के चहुँमुखी विकास हेतु हर प्रकार के ठोस कदम उठाए हैं। कार्यालय के दोनों उप महालेखाकार हिन्दी-प्रेमी हैं। हिन्दी के प्रति उन दोनों की सराहनीय आसक्ति है। मैं महालेखाकार महोदय एवं दोनों उपमहालेखाकार महोदय के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

मैं इस पत्रिका के संयुक्त संपादक श्री नरेन्द्र कुमार सिंह 'नाहर' के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने पत्रिका को सर्वगुण संपन्न बनाया है। श्री सिंह राजभाषा हिन्दी के उन्नयन के लिए सतत्प्रयत्नशील हैं। मैं हिन्दी कक्ष के श्री नागेश्वर सिंह के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सदा योगदान दिया है। पत्रिका के समस्त रचनाकारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने अपनी अच्छी रचनाओं से पत्रिका को समृद्धशालिनी बनाया है। जी. डी. अनुभाग के बन्धुवर श्री अजित कुमार सिन्हा को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने हिन्दी के उत्थान के लिए एवं पत्रिका के कलेवर को चित्ताकर्षक बनाने में सदा हाथ बँटाया है। मैं डॉ० खगेन्द्र ठाकुर का तहेदिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी रचना देकर इस पत्रिका में चार चांद लगाए हैं। प्रकाशन परामर्शदातृ समिति के सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ/अंत में सहृदय एवं सुधी पाठकों से अनुरोध है कि वे अपने बहुमूल्य सुझावों, जिनके बहुमूल्य सुझावों से पत्रिका हृदयहारिणी हुई है, ~~संपादक~~ को भेजकर हमें अनुगृहीत करें।

जय भारत, जय हिन्दी !

डॉ० जितेन्द्र कुमार,
संपादक



आपके पत्र



'चेतना' के आठवें अंक की एक प्रति सधन्यवाद प्राप्त हुई।

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ सारवान, श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट हैं। रचनाएँ न केवल पठनीय हैं अपितु संग्रहणीय हैं। श्री युगल किशोर झा की रचना 'मोह न नारी, नारी कर रूपा' नारी की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालती है। यह लेख विशेष रूप से सराहनीय है।

सभी रचनाकारों को तथा सम्पादक-मंडल को श्रेष्ठ प्रकाशन के लिए हमारी शुभकामनाएँ स्वीकार करें तथा आशा है कि आगामी अंक और भी रोचक होगा। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना सहित।

नई दिल्ली,
17-12-97

वरिष्ठ लेखा-परीक्षा अधिकारी,
(हिन्दी)

प्रधान निदेशक लेखा-परीक्षा,
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय,
नई दिल्ली का कार्यालय।

'चेतना' का आठवां अंक मिला। इसकी सारी सामग्री जानकारीबद्धक व सुरुचिपूर्ण है। आवरण-पृष्ठ पर 'अशोक स्तम्भ' का चित्र पत्रिका को भव्य गरिमा प्रदान करता है। डॉ० जितेन्द्र कुमार का लेख 'राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा हिन्दी के बढ़ावे के लिए सुझाव' विचारोत्तेजक है। 'ओलम्पिक और भारतीय हॉकी' देश में खेलों के निरन्तर गिरते हुए स्तर की एक झलक प्रदान करता है। इनके अतिरिक्त 'मोह न नारी, नारी कर रूपा' तथा 'अध्यात्म की दृष्टि में पुरुषार्थ' लेख बहुत ही पसन्द आए। शब्बीर हसन 'शब्बीर' की 'गजल', नरेन्द्र कुमार सिंह 'नाहर' तथा चन्द्रिका सिंह की कविताएँ प्रभावशाली बन पड़ी हैं।

पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति की शुभकामना के साथ,
चण्डीगढ़,
18-12-97

संतोष पुष्कणा,
प्रवर लेखा अधिकारी,
महालेखाकार (ले० एवं ह०), पंजाब
चण्डीगढ़ का कार्यालय

'चेतना' का आठवां अंक प्राप्त हुआ। महालेखाकार महोदय श्री अरुण कुमार सिंह का 'गुणवत्ता-हमारे कार्यालय के सन्दर्भ में' जानकारीप्रद व प्रार्थनिक है। श्री अच्युतानन्द सिंह, सहायक लेखा अधिकारी का लेख भी रूचिपूर्ण है। आशा है, पत्रिका में आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहेगी।

अहमदाबाद
22-12-97

लेखा-परीक्षा अधिकारी/हिन्दी,
महालेखाकार (ले० प०) - I,
गुजरात, अहमदाबाद का कार्यालय

हिन्दी पत्रिका 'चेतना' के आठवें अंक की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। वैसे तो पत्रिका को उत्कृष्ट रचनाओं से संजोया गया है, परन्तु नरेन्द्र कुमार सिंह 'नाहर' की कविता 'राष्ट्रीय एकता' के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का अच्छा चित्रण किया गया है। श्री शशि भूषण प्रसाद का लेख 'दहेज-हमारा सामाजिक अभिशाप' काफी रूचिकर बन पड़ा है।

पत्रिका की अविरल प्रगति के लिए हमारी शुभकामनाएँ

चण्डीगढ़,
23-12-97

यशपाल सहगल,
सहायक लेखा-परीक्षा अधिकारी,
(हिन्दी कक्ष)

महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पंजाब
चण्डीगढ़ का कार्यालय

अर्द्धवार्षिक हिन्दी पत्रिका 'चेतना' का आठवां अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में प्रकाशित लेख, कविता, गजल, निबन्ध अति रोचक हैं। पत्रिका राजभाषा के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से सराहनीय एवं पठनीय है। पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), सिक्किम, गांगतोक की शुभकामनाएँ।

सिक्किम वरिष्ठ लेखा अधिकारी, (प्रशासन)
24-12-97 वरिष्ठ उपमहालेखाकार (ले० एवं ह०)
सिक्किम का कार्यालय

राजभाषा के प्रचार-प्रसार में अहर्निश रत हिन्दी पत्रिका 'चेतना' के आठवें अंक को प्राप्त कर मन गुदगुदा उठा।

पत्रिका के आद्योपान्त अनुशीलन के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी रचनाएँ भावमय तथा स्तरीय हैं। रचनाएँ लेखकों की हिन्दी के प्रति हृदयस्थ पीड़ा एवं आस्था की परिचायिका हैं।

भाषा सुष्ठु एवं सर्वबोधगम्य है तथा शैली प्रवाहमयी एवं भाव-वहन में सक्षम है।

सम्पादक महोदय का प्रयास वस्तुतः स्तुत्य है।

अन्त में मैं सभी रचनाकारों एवं सम्पादक-मंडल को साधुवाद देता हुआ पत्रिका की अविरल प्रगति एवं नियमित प्रकाशन की कामना करता हूँ।

नई दिल्ली, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, (रा० भा०)
9-1-98 महानिदेशक (लेखा-परीक्षा),
केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली-2
का कार्यालय

हिन्दी पत्रिका 'चेतना' के आठवें अंक की प्राप्ति हुई, धन्यवाद।

अंक में समाविष्ट लेख सुन्दर एवं ज्ञानवर्द्धक हैं। 'गुणवत्ता-हमारे कार्यालय के सन्दर्भ में', 'राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा हिन्दी के बढ़ावे के लिए सुझाव', एवं 'अनुभाग अधिकारी श्रेणी परीक्षा' कार्यालय के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। सभी रचनाकारों एवं सम्पादक-मंडल को धन्यवाद।

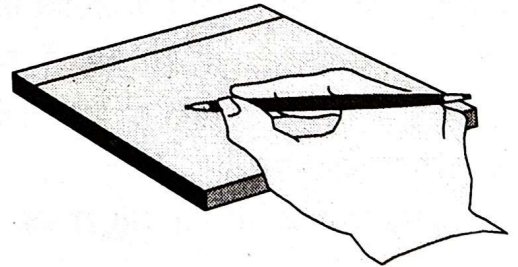
राजकोट (गुजरात)
21-1-98

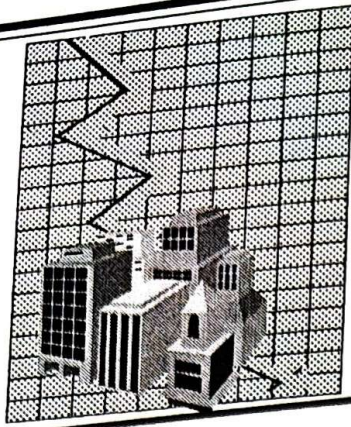
वरिष्ठ लेखा अधिकारी,
(हिन्दी विभाग)
महालेखाकार (ले० एवं ह०), गुजरात,
राजकोट का कार्यालय।

'चेतना' का आठवां अंक प्राप्त हुआ। 'राष्ट्रीय एकता'-नरेन्द्र कुमार सिंह 'नाहर' की कविता, 'आत्मसम्मान'-डॉ० इन्द्रदेव सिंह, 'भक्ति'-शिव शंकर तिवारी की रचनाएँ पढ़कर अपार हर्ष हुआ और हिन्दी के प्रति आपलोगों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। हमारी शुभकामनाओं के साथ।

मुम्बई,
20-1-98

वरिष्ठ लेखा अधिकारी,
(रा० भा०),
महालेखाकार (ले० एवं ह०), I,
महाराष्ट्र, मुम्बई।





आर्थिक उदारीकरण के कुछ विचारणीय पहलू

श्री अरुण कुमार सिंह,
महालेखाकार (ले० एवं ह०)-II, बिहार, पटना

हाल के दिनों में आर्थिक जगत में हो रही उथल-पुथल खासकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के मुद्रा बाजार में हुए भूचाल को देखकर सभी अर्थशास्त्री हतप्रभ हैं। उनके अचंभे का कारण यह है कि अब तक दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को आर्थिक उदारीकरण के सुप्रभाव का ज्वलंत उदाहरण माना जाता था। कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I. M. F.) की सलाह पर पिछले दो-तीन दशकों से आर्थिक उदारीकरण की नीति कार्यान्वित थी। इसके फलस्वरूप उन देशों में बड़ी तेजी से आर्थिक विकास हुआ, निर्यात में अप्रत्याशित वृद्धि हुई जिसके कारण अर्थव्यवस्था बड़ी सुदृढ़ हो गयी। इसके कारण इन देशों में विदेशी पूंजी का बड़े पैमाने पर निवेश हुआ और इनके विदेशी मुद्रा कोष में अपार वृद्धि हुई।

आर्थिक मजबूती के शिखर पर पहुँचकर मुद्रा बाजार में एकाएक इस बुरी तरह धक्का खाना आर्थिक जगत में एक नई बात थी। मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथीर मोहम्मद ने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सटोरियों को जिम्मेदार ठहराया। उधर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बड़े-बड़े निधि प्रबंधकों (Fund Managers) जैसे जॉर्ज सोरोस आदि ने इसके लिये वित्तीय क्षेत्र में सुधार के अभाव को दोषी ठहराया। आरोप-प्रत्यारोप के इस दौर में यह पता लगाना सचमुच मुश्किल हो गया है कि इतनी बड़ी आर्थिक दुर्घटना का कारण क्या है।

इसका कारण चाहे जो भी इस बात से इंकार नहीं

किया जा सकता है कि उन सरकारों की नीतियाँ दोषी थीं जो बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की कमजोरी के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार मानी जा सकती हैं। भारत के लिए इन सबसे यह सीख ली जा सकती है कि वित्तीय क्षेत्र में और सुधार की जरूरत है जिससे बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को अधिक स्वायत्तता तो मिले पर साथ-ही-साथ उन पर गलत मार्गों में निवेश करने पर पाबंदी भी हो। दक्षिण-पूर्वी एशियाई बैंकों ने स्वच्छंदतापूर्वक अचल संपत्ति (Real Estate) में पूंजी निवेश किया जिससे इनका मूल्य काफी घट गया और इसके फलस्वरूप उन बैंकों को काफी घाटा सहना पड़ा।

कुछ लोगों का मानना है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के हाल की घटना ने यह साबित कर दिया है कि वैश्वीकरण (Globalisation) की प्रक्रिया में शामिल होने का ऐसा ही दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होता है। उनका यह भी मानना है कि आर्थिक उदारीकरण, जो जुलाई, 1991 से कार्यान्वित है, की गति धीमी करने की आवश्यकता है, अन्यथा हम भी उस आर्थिक अनिश्चितता के भँवर में फँस जायेंगे जिसका शिकार दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश हुए हैं।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आर्थिक सुधार की नीति अपनाने के पश्चात् अब भारतीय अर्थव्यवस्था उतनी बंद एवं स्पंदनहीन नहीं है जितनी इसके पहले थी। आर्थिक सुधार के दो हिस्से हैं। एक हैं अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण (Macroeconomic Stabilization) जिसका उद्देश्य विनिमय दर निर्धारण

नीति द्वारा भुगतान संतुलन स्थापित करना एवं वित्तीय तथा मुद्रा नीति द्वारा मुद्रा-स्फीति पर काबू पाना है। दूसरे हिस्से का तात्पर्य संरचनात्मक समन्वय (Structural Adjustment) से है जिसका उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था पर लगे प्रतिबंधों को हटाना तथा उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश के लिए खोल देना है। ये कदम अर्थव्यवस्था की क्षमता बढ़ाते हैं। स्थिरीकरण एवं संरचनात्मक समन्वय का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि-पथ पर उन्मुख करना है। इन सुधारों के परिणामस्वरूप भारत विश्व व्यवस्था से और अधिक जुड़ेगा।

सीमा शुल्क को काफी घटा दिया गया है तथा आयात पर लगे कई प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। विदेशी निवेशकों तथा बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को पूंजी निवेश की अनेक सुविधायें प्रदान की गयी हैं, निर्यातकों को कर-छूट किफायत दर पर ऋण एवं अन्य कई सुविधायें दी गयी हैं ताकि भुगतान-संतुलन पुनर्स्थापित हो सके। नये उद्योग लगाने और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि हेतु लाइसेंसिंग व्यवस्था काफी उदार कर दी गयी है एवं उद्योगपतियों को अनेक कर-छूट एवं सुविधायें दी गयी हैं। बड़ी कंपनियों पर एम० आर० टी० पी० अधिनियम (MRTP Act) के अंतर्गत लगे अनेक प्रतिबंधों को काफी शिथिल कर दिया गया है। घरेलू कंपनियों को विदेशों से ऋण आदि उगाही की स्वतंत्रता दे दी गयी है तथा उन्हें बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त ईकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे उद्योगों के आधुनिकीकरण को काफी बल मिला है।

आज की दुनिया में कोई राष्ट्र चाहे वह कितना ही सबल क्यों न हो, वैश्वीकरण के प्रभाव से बच नहीं सकता। आज विश्व के सभी बाजारों का बड़ी तेजी से एकीकरण हो रहा है जिससे दुनिया के एक हिस्से में हो रही घटनाओं का प्रभाव अन्य हिस्सों में तुरंत होता है। इसका कारण यह भी है कि संचार एवं सूचना

तकनीक (Information Technology) में इतनी प्रगति हुई है कि विश्व के हर हिस्से से सूचनायें बिना किसी विलम्ब के हर स्थान पर पहुँच रही हैं। इस तथ्य के साथ एक और बात-गतिशील पूंजी (Mobile Capital) के अपार भंडार का उपलब्ध होना-को जोड़ दिया जाय, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाजार की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बाजार में अरबों डॉलर का खरीद-फरोख्त प्रतिदिन होता है और इसी परिमाण में मुद्रा एक बाजार से दूसरे बाजार में स्थानांतरित होती है। अतः किसी भी बाजार का इस प्रबल गति से बच सकना नामुमकिन है।

हमारा देश भी इस वित्त बाजार से जुड़ा हुआ है और यहाँ की कंपनियाँ (निजी एवं सार्वजनिक) उस पर अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने हेतु निर्भर हैं। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशक (Foreign Institutional Investors) हमारे शेयर बाजारों में बड़ी राशि का निवेश कर रहे हैं। सरकार ने हाल में इन निवेशकों को कई छूटें एवं सुविधायें दी हैं ताकि ये आधारभूत सुविधाओं (Infrastructure) के विकास में अपना योगदान खुलकर कर सकें। इस प्रकार हम पाते हैं कि हम कई महत्वपूर्ण मामलों में अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाजार पर निर्भर हैं।

विदेशी निवेशकों के लिए अधिक सुविधाजनक एवं फायदेमंद बनाने के लिए हमारी सरकार ने विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजों (Operators) को पहले से अधिक छूट दे दी है। यह पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी नीति के तहत अब घरेलू कंपनियों को विदेशों में धन जमा रखने की सुविधा एवं बैंकों को अपनी परिसम्पत्ति के पहले से अधिक अनुपात को विदेशी मुद्रा के रूप में रखने का अधिकार दे दिया गया है। इन कदमों के फलस्वरूप हमारा विदेशी मुद्रा बाजार काफी विकसित और गतिशील हुआ है।

पिछले छः वर्षों से चलाये जा रहे आर्थिक उदारीकरण

की नीति का ही यह परिणाम है कि आज हमारे पास लगभग 2000 करोड़ डॉलर का विशाल विदेशी मुद्रा कोष जमा हो गया है। पिछले तीन-चार वर्षों में निर्यात के क्षेत्र में अप्रत्याशित प्रगति हुई है। नयी आर्थिक नीति के आगमन से पूर्व उत्पादकों का निर्यात के प्रति झुकाव कई करों आदि की छूट के बावजूद बहुत मामूली था और कंपनियां बाहरी स्पर्धा से सुरक्षित हो सिर्फ घरेलू बाजार में अधिक मुनाफा कमाने के उपायों में लगी रहती थीं। अब जब नई नीतियों के तहत यह सुरक्षा-कवच धीरे-धीरे हटा दिया गया है, इन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। कुछ को नयी परिस्थिति से जूझने में कठिनाई हो रही है और उनके मुनाफे में कमी आयी है। पर जिन्होंने चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया उनमें नये आत्मविश्वास और जोश का संचार भी हुआ है। इन सफल कंपनियों के मुनाफे में काफी इजाफा हुआ है। इस प्रकार हम आज जोर देकर कह सकते हैं कि हमारी घरेलू कंपनियों में, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं, यह ताकत और कौशल है कि वे विदेशी कंपनियों तथा आयात का मुकाबला कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यहां के उपभोक्ताओं को हुआ है जिन्हें अपनी पसंद की उच्च गुणवत्ता-युक्त वस्तुएँ किफायती दरों पर सुलभ हैं।

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक उदारीकरण की नीति से जहां धनी वर्ग को काफी फायदा हुआ है वहीं ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में गरीबी बढ़ी है। शहरी उपभोक्ता वर्ग को दुनिया की हर बेहतरीन चीज उपलब्ध है, पर गाँव में रहने वाले मजदूरों की आर्थिक स्थिति बदतर हो गयी है, ऐसा उनका मत है। पर इस विचार का कोई वास्तविक आधार नहीं दीखता। यह सही है कि उदारवादी नीति के शुरू के दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी बढ़ी। वर्ष 1993-94 में गरीबी रेखा के नीचे 39.7 प्रतिशत ग्रामीण जनता थी जो वर्ष 1990-91 की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक था। पर

इसका दोष नई नीति को देना गलत होगा। शहरी क्षेत्र में 1992 एवं 1993 में गरीबी बढ़ी पर 1993-94 में उसमें 4 प्रतिशत की तेज गिरावट आयी और अब तक के सबसे कम स्तर यानि 30.9 प्रतिशत तक आ गयी।

ग्रामीण गरीबी के कारणों का विश्लेषण करने के क्रम में हम इसका तीन मुख्य कारण पाते हैं। पहला कारण है कृषि पैदावार कम होना। दूसरा, खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि और तीसरा, आर्थिक स्थिरीकरण (Stabilisation) के लिये उठाये गये कदम। ग्रामीण गरीबी का सीधा संबंध कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन से है—यदि उत्पादन अच्छा हुआ तो गरीबों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध होगा। कृषि मजदूर अपनी जरूरत के खाद्यान्न का अधिकतर भाग बाजार से खरीदते हैं। आर्थिक सुधार के शुरू के वर्षों में सरकार ने किसानों को अधिक लाभ पहुँचाने हेतु खाद्यान्नों का समर्थन मूल्य काफी बढ़ा दिया जिसके कारण इनका बाजार मूल्य भी बहुत बढ़ गया। इस कारण ग्रामीण गरीब जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ा। यदि कृषि उत्पादकता बढ़ाने के कारगर उपाय किये जायें और खाद्यान्नों के मूल्य पर नियंत्रण रखा जाय तो ग्रामीण गरीबी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। साथ ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को भी अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम परिकल्पना एवं कार्यान्वयन के बीच अधिक तालमेल की आवश्यकता है ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति में अधिक सफलता मिले।

जहां तक शहरी गरीबी का सवाल है, आर्थिक सुधार के प्रथम दो वर्षों में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। पर वर्ष 1993-94 में वह काफी घट गई। इस गिरावट का कारण सुधार की धीमी रफ्तार और सरकार द्वारा 1993-94 वर्ष से वित्तीय सिकुड़न (Fiscal Contraction) को कम करना है। शुरू के दो वर्षों में सुधारों तथा वित्तीय अनुशासन के कारण औद्योगिक कामगारों की आमदनी में कमी आयी। हमारी सरकार ने आम जनता को सुधारवादी नीति के कुप्रभावों से सुरक्षा प्रदान

करने हेतु नीति में थोड़ा परिवर्तन लाते हुए 1993-94 वर्ष के उपरान्त से सुधार की गति थोड़ी धीमी कर दी। वित्तीय घाटे को कम करने के लिए शुरू के वर्षों में खाद्यान्नों पर सब्सिडी कम करनी पड़ी, जिसके कारण उनके मूल्य में वृद्धि हुई। इसका असर गरीबों पर पड़ा। वर्ष 1993-94 तक जब सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ तब उसने खर्च के उपर लगे कड़े प्रतिबंधों को थोड़ा ढीला करते हुये सब्सिडी की मात्रा बढ़ा दी। इससे शहरी इलाकों के गरीबों को राहत मिली। इसके साथ-साथ उस वर्ष से औद्योगिक पुनर्व्यवस्था (Industrial Restructuring) के लिए उठाये गये कदमों के अच्छे प्रभाव सामने आने लगे जिसकी वजह से औद्योगिक उत्पादन एवं रोजगार में आशातीत वृद्धि हुई।

वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक औद्योगिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत से भी अधिक रही जो इस नीति की सफलता को दर्शाता है।

अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आर्थिक सुधार नीति को जारी रखने की जरूरत से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके फलस्वरूप हमारी

अर्थव्यवस्था अधिक सुदृढ़ हुई है। हमारे इतिहास में पहली बार लगातार पिछले तीन वर्षों में लगभग 7 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल हुआ। अब कहा जा सकता है कि हम उच्च वृद्धि पथ पर अग्रसर हैं। यदि इस प्रगति को अगले कुछ वर्षों के लिए बरकरार रखा जाय तो अवश्य ही इससे गरीबी को दूर करने में सफलता हासिल कर ली है। पर इस नीति के संचालन में हमें अपने देश की विशेष परिस्थितियों खासकर गरीबों की अपार जनसंख्या एवं उनपर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ पर बराबर ध्यान रखना होगा। इसके लिए एक सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी जिससे गरीबों को कफायत दरों पर अपनी जरूरतें मुहैया करायी जा सकें एवं वृद्धावस्था एवं बीमारी में उन्हें सुरक्षा मिल सके।

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में हाल में हुई उथल-पुथल से बचाव के लिए हमें अपने बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को और सुदृढ़ करना होगा ताकि उनकी परिसम्पत्तियाँ घाटे की परियोजनाओं में न फँस जायँ। साथ ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ऋणों पर निर्भरता भी कम रखनी होगी और उन्हें मूलतः देश की बचत पर निर्भर होना होगा।

“कोऽतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् ।
को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥”

अर्थात्

“सर्वथा समर्थ अर्थात् योग्य पुरुषों के लिए कोई भी कार्य अत्यन्त गुरु नहीं होता, व्यवसायी (रोजगारी) आदमियों के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, विद्वानों के लिए कोई देश, विदेश नहीं होता और प्रिय वचन बोलने वालों के लिए कोई व्यक्ति दूसरा अथवा शत्रु नहीं होता।”



(हिन्दी जब नयी चाल में ढली

डॉ० खगेन्द्र ठाकुर

सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जब-जब ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं, तब-तब भाषा में या यह कहें कि भाषा के इतिहास में भी युगान्तरकारी परिवर्तन हुए हैं। हिन्दी का उद्भव और विकास इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। आज हम जिस हिन्दी की बात करते हैं और जिस हिन्दी में बात करते हैं उसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। प्राचीन और मध्यकालीन हिन्दी के रूपों का सम्बन्ध बौद्ध धर्म आन्दोलन, नाथों और सिद्धों के उत्थान और भक्ति-आन्दोलन के माध्यम से प्राकृत, अपभ्रंश, और उत्तर भारत की अन्य लोक भाषाओं से किसी-न-किसी तरह है। आधुनिक हिन्दी का विकास हिन्दू-मुस्लिम समुदायों के मिलन, द्वन्द्व, सामंजस्य आदि से है, साथ ही भारत में स्वभावतः हो रहे व्यावसायिक विकास से भी है। इन दो बातों ने दिल्ली, आगरा, हरियाणा, आदि क्षेत्रों में प्रचलित खड़ी बोली के प्रारम्भिक रूप को दूर-दूर तक फैलाया। खड़ी बोली के अस्तित्व का पता अमीर खुसरो की मुकरियों में तो चलता ही है, कहा जा सकता है कि वे मुकरियाँ ही पहले से चली आ रही खड़ी बोली का आभास देती हैं। इसके बावजूद मध्यकाल में यदि खड़ी बोली हिन्दी में साहित्य नहीं रचा गया, तो इसका मुख्य कारण यह था कि लोक भाषाएं उस जमाने की रचनात्मक जरूरतों की पूर्ति करने में सक्षम थीं, और खड़ी बोली हिन्दी को माध्यम बनाने की ओर कवियों का ध्यान स्वभावतः नहीं गया। भावनाओं के आत्मगत स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए, किसी-न-किसी सत्ता के प्रति (लौकिक या

अलौकिक) समर्पण के लिए कविता की विधा पर्याप्त थी और कविता का उपयुक्त माध्यम लोक भाषा थी, मुख्यतः ब्रजभाषा और अवधि, कहीं-कहीं और भी भाषाएँ जैसे मैथिली, बंगला, राजस्थानी आदि।

ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि यह थी हिन्दी की पुरानी चाल। जिसे हम आधुनिक युग कहते हैं, उसमें ऐसी कुछ बातें घटित हुईं, जिनके प्रभाव से समय के प्रवाह में मध्यकाल और आधुनिक काल का विभाजन हुआ और नयी रचनात्मक जरूरतें पैदा हो गयीं, जिनकी पूर्ति के लिए गद्य की आवश्यकता महसूस होने लगी। हिन्दी के नयी चाल में चलने का सन्दर्भ यही है और इस नयी चाल को सबसे अधिक पहचाना भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने। भारतेन्दु ने सन १८७७ के जून माह में 'हिन्दी की उन्नति पर व्याख्यान' कविता में दिया था "हिन्दी विविधर्षिणी सभा" में। उस व्याख्यान में "निजभाषा" की उन्नति पर मूल जोर देते हुए जो बातें भारतेन्दु ने कहीं उनमें निम्नलिखित पर ध्यान दें :-

रेल चलत केहि भाँति सों कल है काको नाँव ।
तोप चलावत किमि सबै जारि सकत जो गाँव ॥

.....
उतरत फोटोग्राफ किमि छिन मँह छार्या रूप ।
होय मनुष्यहिं क्योँ भये हम गुलाम ये भूप ॥
कल के कल बल छलन सों छले इते के लोग ।
नित-नित धन सों घटत हैं, बढ़त है दुख-सोग ॥
मारकीन मलमल बिना चलत कछु नहिं काम ।
परदेसी जुलहान कै मानहुँ भये गुलाम ॥

भारतेन्दु ने जब आँखें खोली, तब देश गुलाम था,

अंग्रेजों का, साथ ही गुलामी के खिलाफ सन् १८५७ में प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी हो चुका था। भारतेन्दु ने गुलामी और स्वाधीनता का भावनात्मक ही नहीं बौतिक अर्थ भी समझा और दूसरों को भी समझाने की कोशिश की। अंग्रेजों ने भारत को 'कल' (मशीन) के छल-बल से गुलाम बनाया और छोटी-बड़ी सारी चीजें हमारे देश में लाकर बेचने लगे, हमारी स्वतंत्र प्रगति के रास्ते में रूकावट डाल दी, सम्पत्ति लूट कर ले जाने लगे। हम पर विदेशी शिक्षा पद्धति और विदेशी भाषा अंग्रेजी भी थोप दी। हमारा धन घटने लगा और दुख-शोक बढ़ने लगा। रेल, तोप, कैमरा आदि नयी चीजें जो उनके साथ आयीं उन्होंने भी उनके साम्राज्यवादी प्रबंध में ही मदद पहुँचायी लेकिन, भारतेन्दु जैसे देश भक्तों की चेतना ने यह विचार भी पैदा किया कि अर्थतंत्र और समाजतंत्र के ये नये साधन हम भी प्राप्त करें और स्वतंत्रता के लिए परदेसी जुलाहों को भगाना तथा आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। इसी प्रकार की चेतना भारतेन्दु-युग के अन्य लेखकों की रचनाओं में भी पड़ी है। स्वयं भारतेन्दु ने 'भारत-दुर्दशा', 'अंधे नगरी' जैसे नाटकों, ढेर सारे निबंधों और भाषणों में इस नयी चेतना को मुख्य रूप में व्यक्त किया।

मुख्य होती है। आज भारतीय नव जागरण के प्रवर्तकों में राजा राम मोहन राय के अतिरिक्त ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर आदि के नाम लिये जा रहे हैं, और अब डॉ० भीमराव अम्बेदकर का भी नाम जोड़ा जा रहा है और यह उचित ही है; क्योंकि कोई नव जागरण सामाजिक जागरण से बच कर नहीं चल सकता और वैसे सामाजिक जागरण में सामाजिक भेद-भाव के उन्मूलन का अभियान भी शामिल होना ही चाहिए। इस नव जागरण ने भारत को सामाजिक पिछड़ेपन से मुक्त करने के लिए, सामाजिक बुराइयों और कुसृष्टियों को मिटाने के लिए अभियान चलाया। यदि राममोहन राय ने भारतीय समाज के आधुनिकीकरण के लिए अंग्रेजी शिक्षा, और ज्ञान-विज्ञान के प्रचार के लिए, तथा बाल-विवाह, सती प्रथा आदि के उन्मूलन के लिए, धर्म सुधार के लिए अभियान चलाया तो ज्योतिबा फुले ने पिछड़ों और दलितों को निरक्षरता, अंधे से निकालकर साक्षरता की राशनी देने, छुआछूत और जातीय भेद-भाव मिटाने, महिलाओं को ऊपर उठाने का अभियान चलाया। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में अवरूद्ध ढंग से ही सही औद्योगीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, और ब्रिटिश राज में शिक्षा और प्रशासन के सम्पर्क से जो पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग और मध्यवर्ग आदि नये सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, उन सबने मिलकर भारतीय समाज में बदलाव की एक प्रक्रिया शुरू कर दी। इस प्रसंग में सिर्फ एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ—सन् १८५३ में मुम्बई में थाने तक पहली रेलगाड़ी चली, उसे देखने के लिए आसपास के गाँवों से हजारों लोग उमड़ कर आये। इस घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन के अखबारों में छपी, यह स्वाभाविक है। रिपोर्टर ने जो ध्यान देने वाली बात लिखी वह यह कि गाँवों से आये विभिन्न जातियों के लोग एक ही कतार में खड़े थे। यह थी भारत की परम्परागत सामाजिक बनावट के टूटने की शुरुआत। आधुनिकीकरण का यह पहला कदम था। इसके साथ ही ज्ञान-विज्ञान की बातें भी यहाँ आयीं।

वेदों, उपनिषदों, मनुस्मृति, ब्रह्मसूत्र आदि से बनी भारतीय चेतना इन नयी बातों से टकरा रही थी। हिन्दी क्षेत्र यद्यपि ब्रिटिश साम्राज्य की विकास योजनाओं की दृष्टि से उपेक्षित था समुद्र से दूर होने के कारण, फिर भी राष्ट्रीय जागरण और सामाजिक नव जागरण की प्रक्रिया यहाँ भी गहन ढंग से शुरू हो गयी थी। इसका कारण था यहाँ की जनता का दुहरा शोषण—एक, सामंतों के द्वारा, दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के द्वारा। भारतेन्दु ने चेताया था—“**पै सन धन निवेश चली जात यह अति ख्तारी ।**” प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था एक लेख में कि पता नहीं कौन सा भूगर्भ नाला बन गया है कि भारत की सम्पत्ति बह-बह कर इंग्लैण्ड चली जा रही है। अँग्रेजी प्रशासन को खास निशाना भारतेन्दु युग के लेखकों ने बनाया। भारतेन्दु ने समाज को रूढ़ियों, अन्धविश्वासों से मुक्त करने का अभियान चलाया, लेकिन यह साफ-साफ कहा कि देश से अँग्रेजों को भगाये बिना सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती। महाराष्ट्र और बंगाल के नव जागरण से अलग होकर भारतेन्दु ने स्वतंत्रता और “निज भाषा” को अपनाने पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त अपना उद्योग धंधा खोलने और नया तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने की भी प्रेरणा उन्होंने दी। भारतीय मानस में ये नये तत्त्व घुसने के लिए गतिशील हो गये। राजनीतिक स्वतंत्रता का संघर्ष जनता के बिना नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए जातीय भेद-भाव मिटा कर जनता को तैयार करने की जरूरत एहसास की जाने लगी। इस प्रकार मानसिक एवं सामाजिक आधुनिकीकरण के लिए जनता की ऐतिहासिक शक्ति को पहचानना और स्वीकार करना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का प्रयत्न करना, मनुष्य के पुरुषार्थ से उजागर करना और जनतंत्र एवं जनतांत्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का पक्ष लेना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में सर सैयद अहमद खाँ ने मुस्लिम समाज और इस्लाम के आधुनिकीकरण का अभियान चलाया, लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्रता के तत्त्व को

उन्होंने स्वीकार नहीं किया, फिर भी उनके अभियान ने हिन्दी क्षेत्र में जो नयी चेतना जगायी, वह ध्यान देने योग्य है।

अब कहना यह है कि उपर्युक्त बातों ने अर्थात् साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद के प्रति असंतोष एवं रोष, रूढ़ियों-अंधविश्वासों के खिलाफ जग रहे वैज्ञानिक-बोध, जनता की नयी शक्ति के उदय, राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार की चेतना के विकास आदि ने जो राष्ट्रीय-सामाजिक चिंतन और भाव-भेद विकसित किया उनकी अभिव्यक्ति के लिए मध्यकालीन हिन्दी या हिन्दी की पुरानी चाल समर्थ नहीं थी, इस नयी चेतना और नये भावबोध ने खड़ी-बोली हिन्दी में जब अभिव्यक्ति पाना प्रारम्भ किया तो भारतेन्दु ने कहा कि ‘हिन्दी नयी चाल में ढली’। असल में, नयी चेतना और नये भाव-बोध में ओज था संघर्ष के कारण। संघर्ष का ओज प्रणति और प्रार्थना की भाषा में नहीं व्यक्त किया जा सकता। चिंतन की कठोरता और तीव्रता के लिए भी ओजपूर्ण गतिशील भाषा की जरूरत पड़ी। इसी युगान्तरकारी बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए खड़ी बोली हिन्दी की ओर पहले हिन्दी के लेखकों का फिर पूरे देश के स्वाधीनता सेनानियों का ध्यान गया। हिन्दी की नयी चाल का दायरा विशाल है। इसने यह ऐतिहासिक काम पूरा किया कि देश को नयी राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा और नयी राजभाषा मिली। इस नयी चाल की दिशा भविष्य की ओर है, इसमें पुनरुत्थानवाद के लिए कोई जगह नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि हिन्दी में पुनरुत्थानवादी लेखक कोई नहीं हैं या हिन्दी क्षेत्र में पीछे देखने वाले या समाज को पीछे ले जाने वाले लोग नहीं हैं। वे हैं, लेकिन जब “हिन्दी नयी चाल में ढली”, तब उस नयी चाल में पुनरुत्थानवाद और रूढ़िवाद के लिए गुंजाइश नहीं थी। पुनरुत्थानवादी और रूढ़िवादी न आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और न सामाजिक पिछड़ेपन को मिटाने के अभियान में शामिल थे। यदि

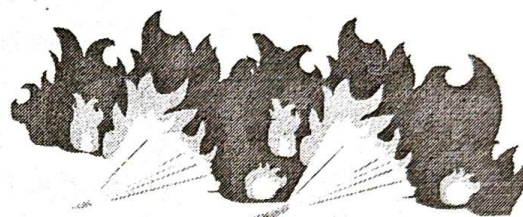
कभी-कभार कुछ लोग शामिल होते भी थे, तो जल्द ही उनकी सीमा निर्धारित हो जाती थी और वे वेदों की ओर मुड़ जाते थे। अन्ततः आर्यसमाज के साथ यही तो घटित हुआ। यही कारण है कि प्रेमचंद और राहुल सांकृत्यायन जैसे लेखकों ने जल्द ही आर्यसमाज का

पिंड छोड़ दिया।

हिन्दी की वह नयी चाल हमारी ऐतिहासिक विरासत है, हमारी प्रेरणा का स्रोत है, हमारी शक्ति है और नये भविष्य की ओर बढ़ने के लिए हमारा दायित्व है। हमें इस सच्चाई को समझना और समझाना चाहिए।

चिराग जो बुझ गया

श्री सुमन तिग्गा,
वरिष्ठ लेखाकार,
पेन-4



चिराग में तेल का एक कतरा था बाकी तेल का कतरा खत्म और चिराग बुझ गया, फिर कभी न जलने के लिए।

कतरा-कतरा दिन बीतता,

टुकड़ों में रात गुजरती,

सुबह होती नहीं थी चार पहर से पहले।

दो सूनी आँखों के बीच एक बूंद मोती रह गया था अकेला।

अपनी तमाम यादों में

एक और याद कर लिया है शामिल;

कहते हैं, दुनियाँ से जाने वाले

तारे बना करते हैं

उन्हीं तारों को आसमान से तोड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है हमने। टपकेगा हथेली से जो उसे लहू नहीं आँसू समझना।

X

लाख गज कपड़ा बुनता है बुनकर लेकिन एक भी गाँठ गिरह, जुलाहे की देख नहीं सकता कोई !

आदमी अगर एक भी रिश्ता बुने तो उसकी सौ गाँठें

साफ नजर आती हैं, क्यों ?

X



‘प्यार’

श्री राजेन्द्र प्रसाद रजक,
लेखा अधिकारी

‘प्यार’ ये जो तीन अक्षरों का मिश्रण है, की अनुभूति, एहसास हम प्राचीनकाल से लेकर अब तक करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। यह कभी खत्म न होने वाली वस्तु है। हम जितना अधिक इसका उपयोग करते हैं यह उतना ही बढ़ता जाता है।

आज हम यदि किसी के सामने “प्यार” शब्द की चर्चा शुरू करते हैं तो लोगों में उत्सुकता जागृत हो जाती है कि जरूर इसे किसी से प्यार हो गया है या फिर वह प्यार में फँसा है। यह भावना खासकर उन तमाम लोगों के दिमाग में उत्पन्न होती है जो खासकर प्यार शब्द को गलत ढंग से व्यक्त करते हैं, महसूस करते हैं। हमने ऊपर कहा है कि “प्यार” तीन अक्षरों का मेल है, अर्थात् तीनों लोकों की खुशियाँ इस प्यार शब्द में निहित हैं। प्यार बिना किसी भेद-भाव के एक-दूसरे से किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्यार छोटे-बड़े, अमीर-गरीब, भक्त और भगवान सभी में विद्यमान है तथा जिसका प्रयोग हम किसी न किसी रूप में अवश्य दिन-प्रतिदिन

व्यक्त करते हैं, महसूस करते हैं। आजकल जैसे ही प्यार शब्द को जुबान पर लाते हैं वैसे ही विद्युत प्रवाह की तरह लोगों के मानसपटल पर प्रेमी और प्रेमिका की छवि उभर कर सामने आने लगती है जिसके फलस्वरूप मन की भावनाएँ कुण्ठित, दूषित होने लगती हैं जो कि निराधार एवं अत्यंत ही गलत हैं।

यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि “प्यार” एक ऐसी पवित्र भावना है जिसका वास्तविक रूप एवं महत्त्व हमें समय और परिस्थिति के अनुसार मानना चाहिए, समझना चाहिए। प्यार जो माँ अपने बच्चों से, प्यार जो पिता अपने पुत्रों से, प्यार जो सहपाठियों से, प्यार जो शिक्षक अपने छात्रों से, प्यार जो अधिकारी अपने कर्मचारियों आदि से करने को तत्पर रहते हैं, वस्तुतः प्यार शब्द का यही सही रूप है। प्यार शब्द ऐसा खजाना है जो कभी भी खत्म नहीं होता है। इसे हम जिस रूप में जितना अधिक खर्च करते हैं, बाँटते हैं, महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, यह उतनी ही अधिक मात्रा में अर्थात् दुगुना-चारगुना या यों कहें कि कई गुणा अधिक हमें प्राप्त होता है।

“अश्वः शस्त्रं शास्त्रं वीणा वाणी नरश्च नारी च ।
पुरुष-विशेषं प्राप्ता भवन्ति योग्या अयोग्याश्च ॥”

अर्थात्

“घोड़ा, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, पुरुष और स्त्री इतनी वस्तुएँ व्यक्ति विशेष के सम्पर्क में आने पर ही योग्य अथवा अयोग्य सिद्ध होती हैं। कुशल व्यक्ति इन चीजों को अपने कौशल से उत्तम बना लेता है और मूर्ख, अव्यवहारी पुरुष के हाथ पड़कर यह सब असुन्दर और व्यर्थ हो जाते हैं”

—सुभाषितावलि : (पृष्ठ ४९)



नारी-भावना

डॉ० जितेन्द्र कुमार,
एम.ए. (द्वय), पी-एच.डी.,
अनुभाग अधिकारी, हिन्दी कक्ष,
महालेखाकार (ले. एवं ह.) II, बिहार, पटना
का कार्यालय

विधाता की लीला अपरम्पार है। उन्होंने अनेकानेक जीव-जन्तुओं की सृष्टि की। एक ओर तो उन्होंने भयंकर, खूंखार सिंह एवं चीते का तो दूसरी ओर मेमने और खरहे जैसे कोमल एवं मनोहारी जानवर का सृजन किया। सूर्य, चाँद, तारे, गहरे समुद्र, हरे-भरे पेड़-पौधे लहराती एवं इठलाती नदियाँ, उत्तुंग शिखर, कल-कल करते झरने, चहचहाती चिड़ियाँ, हृदयहारिणी नानाविध मछलियाँ आदि असंख्य कृतियाँ उसी सर्वशक्तिमान विधाता की हैं। नर और नारी भी उसी विधाता की कृतियाँ हैं।

उक्त कृतियों में “नारी” विधाता की सर्वोत्तम कृति है। स्त्री और पुरुष विश्वरूपी अंकुर के दो पत्ते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नर बिना नारी एवं नारी बिना नर पंगु है। श्री गोपाल प्रसाद व्यास ने “अनारी-नर” में कहा है :-

“नर अनुप्रास, प्रस्तार, यमक
नारी यति, गति, लय, मात्रा है।
है पुरुष मील का ही पत्थर,
नारी जीवन की यात्रा है।”

गृहस्थी-रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं:- नारी और नर। इन दोनों में से प्रत्येक का स्थान समान है अर्थात् एक के बिना दूसरा व्यर्थ है। तभी तो श्री गोपाल प्रसाद व्यास ने कहा है:-

“नीति नारी, पुरुषार्थ नर,
प्रीति नारी, परमार्थ नर।
क्यों अँटकाती रोड़ा है ?
नर-नारी का जोड़ा है।
ईश्वर बड़ा खिलाड़ी है।
जीवन क्या है-गाड़ी है।
रुकती कहीं, उछलती है,
दो पहियों पर चलती है।
पहिया एक न चल पाए,
गाड़ी ठाड़ी हो जाए।
नर के बिना नारी बंजर,
नारी बिना अनारी नर।”

श्री व्यासजी ने डंके की चोट पर घोषणा की है :-

“नारी पुरुष के गैल नहीं,
इसकी कभी रखैल नहीं।
जोरू नारी जोर की है,
जड़ की नहीं, जोर की है।”

पिछले पृष्ठ की अंतिम दो पंक्तियों में व्यास जी के व्यक्त भावों की पुष्टि के लिए मैं भगवती चरण वर्मा जी रचित “चित्रलेखा” की निम्नलिखित पंक्तियों को उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं कर सकता :- “पुरुष पर आधिपत्य जमाने की इच्छा स्त्री के पुरुष से प्रेम की द्योतक नहीं है, प्रकृति ने स्त्री को शासन करने के लिए नहीं बनाया है। स्त्री शासित होने के लिए बनाई गई है।”

आत्म-समर्पण करने के लिए। स्त्री अपने से निर्बल मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकती, जिस मनुष्य पर उसने आधिपत्य जमा लिया वह मनुष्य उसके प्रेम का अधिकारी हो ही नहीं सकता, स्त्री का क्षेत्र है आत्म-समर्पण, अपने अस्तित्व को अपने प्रेमी के अस्तित्व में मिला देना, इसीलिए स्त्री उसी मनुष्य से प्रेम कर सकती है जो उस पर विजय पा सके, जो उस पर आधिपत्य जमा सके।”

महादेवी वर्मा की दृष्टि में “नर कठोर है, नारी कोमल। नर लूटना चाहता है, नारी लुट जाना। नर लेना चाहता है, नारी देना। नर विजय का भूखा होता है, नारी समर्पण की।”

प्राचीन काल से नारी पर पुरुष सदैव अपना मनमाना राज करता रहा है। इस कारण दोनों में पारिवारिक एवं सामाजिक द्वन्द्व भी होता रहा किन्तु इन द्वन्द्वों के कशमकश में भी गार्हस्थ्य-जीवन की गाड़ी अनवरत चलती रही किन्तु वैदिक काल में नारी पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था। उस समय भारतीय नारी पूर्ण स्वतंत्र थी; पुरुषों के साथ गृहस्थी और सामाजिक कार्यकलापों में वह समान रूप से भाग लिया करती थी। धार्मिक कृतियों में भी वह समान रूप से भाग लेती थी उसे व्यक्तिगत विचार प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता थी। इतना ही नहीं, उसे स्वयंवर रचा कर पति चुनने की भी अनुमति थी।

आदिकाल से नारी के रूप में धरातल पर अनेक अवतार हुए। शक्ति के रूप में माँ दुर्गा, विद्या की देवी सरस्वती, काली, जगतजननी जानकी, कुष्णबल्लभा राधा—सभी नारी के रूप में ही अवतरित हुईं। भगीरथ के साथ हजार पूर्वजों (पुत्रों) को तारने के लिए माँ गंगा (नारी) का अवतरण हुआ।

इस पृथ्वी पर नारियों का ही प्रभुत्व रहा है—कभी शक्ति के रूप में, कभी विद्या के रूप में, कभी लक्ष्मी के रूप में। तभी तो समस्त संसार को इनके समक्ष तमस्तक होकर इन्हें प्रणाम करना पड़ा और कहना पड़ा—

“या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।”

भारतीय समाज अनेकानेक जातियों एवं उपजातियों में बँटने लगा। नारी पर रंग-बिरंगे दबाव एवं प्रतिबंधों का प्रारंभ हुआ। उसकी स्वतंत्रता एवं शक्ति पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। हिन्दू कानून (Hindu Law) में नारी को कानून के जाल में जकड़ दिया गया। उसे कानून के अनुसार न तो सामाजिक अधिकार दिया गया और न अपनी इच्छा प्रकट करने का आदेश ही। अब वह पिंजड़े की निरीह चिड़िया बन गयी जिसे फुदकने या फड़फड़ाने की भी स्वतंत्रता नहीं दी गई। उसकी वाणी मूक हो गई और वेदना मुखरित। उसके जीवन को तीन अवस्थाओं में जकड़ कर पुरुष के अधीन रखा गया—बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और बुढ़ापे एवं वैधव्य में पुत्र के अधीन।

महाभारत और रामायण में नारी के अधिकार क्षीण और दुर्बल होते गए—बहु विवाह की प्रथा का प्रारंभ इसी समय हुआ। सती-प्रथा का श्रीगणेश हुआ। बहुविवाह का पोषक इस्लाम धर्म था। बौद्ध-धर्म के प्रादुर्भाव से नारी-जागरण का प्रारंभ हुआ किन्तु पुरुषों ने इस नारी-जागरण को दबा दिया। इस्लाम-धर्मावलम्बियों ने भी नारियों की स्वतंत्रता पर आघात किया। नारियाँ पर्दा-प्रथा की शिकार हो गईं और आस-पास की दुनिया से अपरिचित हो गयीं। वे पुरुषों के विलास की सामग्री बन गयीं और पुरुषों के विलासी एवं रंगीले मन की मनमोहिनी मैना बन कर रह गयीं।

भारतवर्ष में नारी-जागरण का आन्दोलन 19 वीं सदी के अन्त में प्रारंभ हुआ। भारतीय नारी की दुरिति देख

राजा राम मोहन राय ने नारी-जागरण का सर्वप्रथम शंखनाद किया। उन्होंने सती-प्रथा का अन्त कराया। तत्पश्चात् ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने "विधवा-विवाह कानून" पारित कराया। धीरे-धीरे नारी-जागरण तीव्रतर होता गया और अब नारी बच्चा पैदा करने की मशीन न रहकर भारत के समस्त कार्य-कलापों में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपने को गौरवान्वित करने में सफल हुई। आधुनिक नारियों में अत्यधिक जागरण है; इसके ज्वलन्त उदाहरण में सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा, आसफ अली, इंदिरागांधी, लक्ष्मीमेनन इत्यादि नारियों के नामोल्लेख किए जा सकते हैं। गाने में लताजी, आशा जी एवं उषा जी का जोड़ नहीं है। बहादुरी में झांसी की रानी के आगे कौन टिक सकता है? तभी तो उनके विषय में सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा है:- "खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है।" डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने भी नारी-उत्थान में पूरा सहयोग दिया है। उन्होंने हिन्दू कोड बिल द्वारा नारियों को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने में भरपूर प्रयास किया है। नारी-रक्षा के हिमायती स्वामी विवेकानन्द ने कहा है:- "स्त्रियों की अवस्था के सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का मार्ग नहीं है। किसी पक्षी का एक पंख के सहारे उड़ाना नितान्त असम्भव है।" महात्मा गांधी ने भी नारी-उत्थान का पूरा प्रयास किया। उन्होंने नारी-शिक्षा पर बल दिया। उनका कहना था कि अगर नारी शिक्षिता होगी तो उनका सम्पूर्ण परिवार शिक्षित होगा। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने नारी-उत्थान के लिए अनेकानेक कार्य किए। उन्होंने नारी-शिक्षा एवं विधवा-विवाह के प्रचार एवं प्रसार में अभूतपूर्व कार्य किए।

अभी भी बहुतों के दिल में नारी के प्रति हीन भावना है। तभी तो गोपाल शरण सिंह ने व्यथित होकर कहा है:-

"दमयंती की यही जन्म वसुधा ही प्यारी, हुई रूक्मणी यहीं और गार्गी, गांधारी। जनकसुता की कथा विश्व विश्रुत है न्यारी, और कहाँ है हुई जगत में ऐसी नारी, पर आज अविद्या-मूर्ति-सी हैं सभी श्रीपतियाँ यहाँ, री सृष्टि अभागी देख ले उनकी दुर्गतियाँ यहाँ।" वास्तव में नारी के प्रति हीन भावना रखने वालों की भूल है। वस्तुतः उन्हें नारी के माहात्म्य को नकारना नहीं चाहिए। कबीर साहेब ने नारी के विषय में स्पष्ट कहा है:-

"नारी निन्दा मत कर साधो
नारी जगत् की है 'माता'।"

मानव की उत्पत्ति के विषय में कबीर साहेब ने 'बीजक' में कहा है :-

"अन्तर ज्योति शब्द एक 'नारी'
हरि ब्रह्मा ता के अवतारी।"

कबीर साहेब के कथनानुसार सर्वप्रथम एक अन्तरज्योति शब्द द्वारा घोषित होनेवाला प्रकाश से अन्तरात्मा और एक नारी (माया) थी। उस मायारूपी नारी के तीन पुत्र-ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजी हुए। इन्हीं के द्वारा अनेक स्त्री पुरुषों का आविर्भाव हुआ।

यह अकाट्य सत्य है कि संसार के सभी संत-महंथ, नेमी-प्रेमी, धर्मी-अधर्मी नारी से ही उत्पन्न हुए। नारी की महिमा अपरंपार है। घर में नारी (स्त्री), तन में नारी (आत्मा), मन में नारी (वासना) बसी हैं, नारी तो हाड़ में मांस की तरह चिपकी है। श्री गोपाल प्रसाद व्यास ने कहा है-

"नारी मानव के मन में है।
नारी मानव के तन में है।
हर क्षण में है, हर फन में है,
रग-रग में है, कण-कण में है।"

श्री व्यास नारी की महिमा करते नहीं अघाते। वे कहते हैं :-

"हो यज्ञ भजन या वैश्वानर,
नारी के बिना कहाँ आँनर ?

कुँवारे को सब कहते किन्नर,
विधुरों को हम कहते वानर ।
गदहा जैसे लादी-विहीन,
नेता जैसे खादी-विहीन
नर उसी तरह ही लगता है
नारी के बिना मलीन, दीन ।”

पुरुषों की मर्दानगी का कारण दाढ़ी, मूँछ, चौड़ी छाती, मजबूत कलाई आदि हैं और ये सभी स्त्रीलिंग हैं। कलियुग में श्मशान से मन्दिर तक लक्ष्मी की ही पूछ है। लक्ष्मी जाति-धर्म, ऊँच-नीच, छूआ-छूत, भेद-भाव के बंधन से मुक्त है। यह बड़ों की बड़ाई एवं गरीबों की सच्चाई की कसौटी है। कहा गया है—

“लक्ष्मी रहे तो अपना संसार है ।
न रहे तो ठन-ठन गोपाल है ।”

और भी कहा गया है —

“पैसे (लक्ष्मी) बिन मात कहे
पूत तू कपूत है ।
लक्ष्मी बिन ससुर कहे
कैसे तू दामाद है ।”

नारी के महत्त्व को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। तभी तो भारतीय साहित्य के महान् कवियों—जैसे बाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भास, भवभूति, तुलसी, प्रसाद, रवीन्द्र नाथ टैगोर, गुप्त इत्यादि ने नारी को देवी के रूप में देखा है। इन कवियों ने नारियों को आदर्श माताएँ और पत्नियों के रूप में चित्रित किया है। शकुन्तला, सीता, यशोधरा, द्रौपदी इत्यादि सभी आदर्श माताएँ एवं पत्नियाँ हैं। इन नारियों ने अपने प्रियतम के अपूर्ण जीवन को पूर्ण बनाने में सहयोग दिया है। गुप्त जी ने नारी-जीवन के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा है—

“अबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी ।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी ॥”

गुप्त जी ने भी प्रेमचन्द्र जी की तरह नारी के दो रूपों—माता और पत्नी—पर अधिक बल दिया है। इनकी नारियाँ पुरुषों की पूर्णता बनकर रहना चाहती हैं। पुरुषों के अपूर्ण जीवन को पूर्ण बनाना ही इनका लक्ष्य है। गुप्त जी की नारी करुणा और वेदना की जीवन्त

प्रतिमा है। उन्होंने नारी के महत्त्व को दर्शाने हुए कहा है—

“माता, भगिनी, पत्नी, कन्या, नारी ही नर कुल का प्रज्जा।
पत्नी रूप प्रकृत नारी का, पूलभूत इस फूलवारी का ।”
नारी आवश्यकता पड़ने पर प्रेरणा एवं उत्तेजना देनेवाली भी हो जाती है। इस संदर्भ में गुप्त जी की निम्नलिखित पंक्तियों को उद्धृत करना चाहता हूँ—

“जिसके पति हो पाँच-पाँच ऐसे बलशाली,
सुरपुर से भी करे कीर्ति जिनकी उजियाली,
काली हो अरि कांति देखकर जिनकी लाली,
सहूँ लांछना प्रिया उन्हीं की मैं पांचाली ।”

प्रसाद जी नारी-स्वातंत्र्य के सबसे बड़े हिमायती हैं। रोमांटिक कवि होने के नाते उनकी सारी सहानुभूति नारी की ओर ही रही है। जहाँ-जहाँ नारी-मौन्य का प्रसंग आया है वहाँ-वहाँ वे भावुक हो उठे हैं। प्रसाद जी के दिल में नारी के प्रति बड़ी श्रद्धा है। वे कहते हैं —

“नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो—
विश्वास-रजत-नग पगतल में
पीयूष स्रोत-सी बहा करो
जीवन के सुन्दर समतल में ।”

प्रसाद जी के अनुसार श्रद्धा, त्याग और करुणा नारी के शक्तिस्त्रोत हैं और इन्हीं के बल पर वह पुरुष हृदय को जीत लेती है। प्रसाद जी के अनुसार नारी का हृदय करुणा का निर्झर है।

सुमित्रानन्दन पंत के अनुसार—“नारी नरों के संग बैठकर ‘जग-जीवन का काम-काज’ कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर करेगी उसी दिन समाज तीव्रगति से विकासोन्मुख होगा ।” पंत ने नारी को कभी भी काम-पुतलिका न समझकर पुरुष की भाँति ही समाज का एक अनिवार्य अंग माना है। उनके अनुसार समाज को जितनी आवश्यकता पुरुष की है, उतनी ही नारी की। अतः वे भाव-विभोर होकर कहते हैं—

“स्नेहमयि ! सुन्दरतामयि !
तुम्हारे रोम-रोम से नारि
मुझे है स्नेह अपार
तुम्हारा मृदु, उर ही सुकुमारि

मुझे है, स्वर्गागार ।
तुम्हारे गुण हैं मेरे गान,
मृदुल दुर्बलता ध्यान,
तुम्हारी पावनता, अभिमान,
शक्ति, पूजन, सम्मान ।”

रामधारी सिंह दिनकर ने नारी के महत्त्व के विषय में ‘उर्वशी’ में कहा है:-

“संघर्षों से श्रमित श्रान्त हो पुरुष खोजता विह्वल,
सिरधर कर सोने को, क्षण भर नारी का वक्षस्थल।
आँखों में जब अश्रु उमड़ते, पुरुष चाहता चुम्बन,
औ विपद में रमणी के अंगों का गाढ़ालिंगन ॥”
महादेवी वर्मा की दृष्टि में नारी आस्था उपासना और उत्सर्ग की प्रतीक है। वे कहती हैं-“आदिम काल से आज तक विकास-पथ पर पुरुष का साथ देकर, उसकी यात्रा को सरल बनाकर, उसके अभिशापों को स्वयं झेलकर और अपने वरदानों से अक्षय शक्ति भरकर मानवी ने जिस व्यक्तित्व चेतना और हृदय का विकास किया है, उसी का पर्याय नारी है।”

प्रताप नारायण कविरत्न जी की दृष्टि में-

“पत्नी सदृश नहीं त्रिभुवन
में कहीं मिलेगा सच्चा मित्र ।”

हरिऔध जी ने कहा है-

“है विपत्ति-निधि-पोत स्वरूपा, सहकारिणी
सिद्धियों की है ।

है पत्नी न केवल गेहिनी, सहधर्मिणी मंत्रिणी भी
है।”

“भक्तिकालीन काव्य में नारी” नामक पुस्तक में डॉ० गजानन शर्मा ने कहा है-“भक्तिकाल की भाँति ही आधुनिक काव्य में भी नारी का हृदय-पक्ष समुज्ज्वलता के साथ अंकित किया गया है। उसका पावन मातृत्व, आत्मत्यागी पत्नीत्व, स्नेह-प्रवण भगिनीत्व और कमनीय सुतात्व सब

को पवित्र भावों की दीप्ति में प्रकाशित किया है। पत्नी के लक्ष्मी-रूप और अन्नपूर्णा रूप की अभिव्यक्ति में नारी की महनीयता की स्वीकृति है। श्रद्धा और यशोधरा का समर्पण अपनी हृदय-हारिता में अनुपम है। विषयों में बहुत ऊँची उठ चुकी है। वह तो पुरुष को कर्तव्य-पथ पर अग्रसर करती है, चाहे उसके लिए उसे कितना भी आत्म-बलिदान क्यों न करना पड़े। यही कारण है कि नारी श्रेय-प्रेय का अपर अभिधान है। ‘मुक्ति’ भी तो नारी ही है।”

आधुनिक कवियों (गुप्त, पंत आदि कवियों) की दृष्टि में नारी की स्वभावज ममता, वात्सल्य सेवाभाव, स्नेह आदि अपना चरम उत्कर्ष माता में ही पाते हैं। यही कारण है कि इस युग के लगभग समस्त कवि शाश्वत मातृत्व की उपासना करते हैं। वस्तुतः मातृत्व ही नारीत्व का चरम उत्कर्ष है।

नारी का रूप माया भी है जिसका अर्थ बड़ा ही सारगर्भित है। माया ने किसी को नहीं बख्शा-

“यह माया रघुनाथ की बौरी,
खेलन चले अहेरा ।”

और “माया महा ठगनी हम जानी ।”

कहा जाता है कि मानव जीवन भागवत् के श्रवण मात्र से धन्य हो जाता है। भागवत् के प्रारंभ में भक्ति माता (नारी) का वर्णन आया है। अपने ज्ञान और वैराग्य नामक पुत्रों को सबल करने के लिए लोकहित में भक्ति माता की प्रेरणा से भागवत् की कथा का प्रारंभ हुआ।

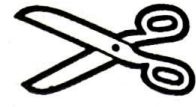
अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि नारी अबला नहीं सबला है। यह अवसर-अफसर, मंत्री-संत्री से अधिक बलवती है। इसे हवस के शिकार होने से रोकें एवं जीवन-साथी बनाकर रखें। इस बात को कभी न भूलें-“नार्यः यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” अर्थात् “नारियाँ जहाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता वास करते हैं।”

संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिए जाने के बाद किसी को उसके विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार नहीं है।

—कृष्ण मेनन



कैंची चली



-श्री पीयूष ओझा
वरिष्ठ लेखाकार, पेन्शन- XI

कैंची चली, कैंची चली ।
कैसे चली ? कैसी चली ? किस पर चली ?
ऐसी चली भाई, ऐसी चली,
कि चलती चली ।

लम्बे केश कभी आधार थे नारी श्रृंगार के,
आज बन गये ये व्यर्थ भार के या जंजाल के ।
इन पर कैंची चली, कैंची चली,
ऐसी चली, ऐसी चली कि
अब बस लटक रही है चन्द लटें
लज्जावती के ललाट पर ।

इन्हें थामने एक हाथ सदा रहता, इनके ललाट पर
तो दूजा रहता चटपटे चाट पर ।
कभी द्रौपदी ने कृष्ण से माँगे थे चीर ।
आज इन पर भी कैंची चली, कैंची चली ।
ऐसी चली, ऐसी चली कि
खुद ही दुःशासन बन कर,
अपने वस्त्रों को रही है ये चीर ।
लगता है इनकी आँखों से उड़ गया है अब नीर ।
एक और कैंची चली, कैंची चली ।
संसार बोर्ड की कैंची चली ।
ऐसी चली, ऐसी चली ।

कि सैक्स-हिंसा छोड़कर सब पर चली ।
और फिल्में हिट होती चलीं, होती चलीं ।
आखिरी कैंची नेताओं के उद्घाटन की चली ।
ऐसी चली, ऐसी चली,
कि हर मोड़ पर
एक कैंची की दुकान खुलती चली, खुलती चली ।



ईमानदारी

— श्री नरेन्द्र कुमार सिंह 'नाहर'
एम. ए., एल. एल. बी.,
वरिष्ठ लेखाकार, हिन्दी कक्ष ।

ईमानदारी मानव-चरित्र की दीप्ति की विशिष्ट पहचान है, उसके शुभ संस्कारों की वसीयत है। यह मनुष्य के आत्म-बल की जागृति की मंगल परिचायिका है। ईमानदारी मानव के व्यवहार की वह तरंग है जो सहजता से करोड़ों के मध्य देखी जा सकती है, क्योंकि वह अनुपम तेज और अलौकिक वेग से लहराता रहता है। हमारे चरित्र के जितने भी सद्गुण हैं उन सभी में ईमानदारी का श्रेष्ठ स्थान है। मनुष्य के इस सहज गुण के निर्वाह के लिए न तो बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना की जरूरत होती है और न भीषण संकट ही झेलना पड़ता है। वैसे तो प्रत्येक युग और काल में इसकी आवश्यकता रही है, किन्तु विशेषकर आज के युग में, जहाँ बर्बरता और बेईमानी का उलंगनाच हो रहा है, इसकी परमावश्यकता है। आज मनुष्य इस सद्गुण को धारण कर ले तो यह महत्तम आवश्यकता और आदर्श की बात होगी। ईश्वर ने अपनी सर्वोत्तम कृति — मानव को विवेकशीलता प्रदान की है। अविवेकशीलता में अन्धा बनकर मनुष्य अपना सर्वनाश कर देता है। विवेकशील मानव की अपनी राह है जिस पर युग-युग से उसने अपने अश्रु-हास के गीतों को बिखराया है। श्रम और गति के सरगम से कभी वेदना के ओस-कण सृष्ट हुए, कभी उल्लास का वसन्त लहराया। ईमानदारी इसी पगडण्डी पर आनन्दातिरेक में झूमने वाली एक ऐसी सदाबहार लता है जिसमें सद्गुणों की सुरभि भी है, चरित्र के उन्नयन की सहज प्रेरणा भी है और है मनुष्य को ऊपर

उठानेवाली अपूर्व क्षमता।

ईमानदारी का सीधा सम्बन्ध हमारे संकल्प और सत्य आचरणों के साथ है। यह केवल सोचने का एक विशेष दृष्टिकोण ही नहीं, अपितु आचरण का एक विशिष्ट ढंग भी है। अपने विचारों के प्रति सहज निष्ठा और जागरूकता बनाए रखना ईमानदारी है। लक्ष्य को भलीभाँति परखकर उसके प्रति निरन्तर संवेदनशील बन रहना हमारी ईमानदारी का लक्षण है। विरोध की आँधी में भी ईमानदार व्यक्ति के संकल्प नहीं डगमगाते, परिस्थिति की करवट के साथ उसका लक्ष्य परिवर्तित नहीं हो जाता, प्रतिद्वन्द्वी के तेवरों से उसकी साधना की राह दूसरी ओर नहीं मुड़ जाती। वह मनसा-वाचा-कर्मणा अपने ध्येय के प्रति आग्रहशील बना रहता है। वह अपने विचारों के प्रति सदैव ईमानदार बना रहता है, वह अपने विश्वासों को धोखा नहीं देता। जिस वृक्ष की शीतल छाया में आराम करके व्यक्ति के मन-प्राण की थकान मिट जाती है, उसकी जड़ पर आघात करना व्यक्ति का धर्म नहीं। इसी तरह जिन पुष्ट विचारों के अंक में कल्पना और स्वप्न का घरौंदा निर्मित किया गया उन ख्यालों को किसी भय या लोभ से छोड़ देना सरासर बेवकूफी होगी। एक ईमानदार व्यक्ति में कम-से-कम इतनी सहिष्णुता अवश्य रहती है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रताड़ित होकर भी अपना विश्वास नहीं खोता, अपनी साधना का पथ नहीं छोड़ता। इस अर्थ में उसकी स्पष्ट मान्यता रहती है कि—

कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
लाख रहे दुश्मन, दौरे जवाँ हमारा ।

ईमानदारी का यह प्रयोग केवल विचारों के क्षेत्र में ही नहीं वरन् व्यवहार की धरती पर भी होता है । एक ईमानदार व्यक्ति का आचरण उसके विचारों के अनुकूल होता है । इसी को आचरण की सत्य-निष्ठा कहते हैं । आज का मानव 'खण्डित व्यक्तित्व' की विकृत मनोवृत्ति से आक्रान्त है । उसके मन, वचन और कर्म में एकरूपता नहीं रहती है । वाणी से देवता को लजा देनेवाला आज का मानव कर्म से पशु से भी बदतर है । व्यवहार के धरातल पर भी उसके अनेक रूप हो जाते हैं । परिस्थिति के चाप को देखकर चेहरे पर नाना प्रकार के नकाब लगा लेने की कला में आज का मानव दक्ष हो गया है । आखिर हो भी क्यों नहीं, ईश्वर-प्रदत्त विवेक एवं बुद्धि का अधिकतम सदुपयोग जो करना है ! अवसर देखकर वायु की गति के अनुकूल ही पीठ फेर लेना उसकी सहज आदत बन गई है । इसी को वह अपनी बुद्धिमानी समझता है । इसी सड़ी-गली सोच को लक्ष्य करके एक विचारक ने कहा है—“जिस देश के बुद्धिजीवी लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग ईमानदारी के साथ करना छोड़ देते हैं, वह देश सब प्रकार से दीन-हीन और नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है ।” समरसता और सामंजस्य के अभाव में व्यक्ति स्वयं अपने प्रति भी ईमानदार नहीं रह जाता । परिणाम यह होता है कि परिवार के धागे टूट जाते हैं, समाज की कड़ियाँ बिखर जाती हैं, राष्ट्र की संरचना को जबर्दस्त ठेस लगती है और विश्व-मानव की आदर्श कल्पना चकनाचूर हो जाती है । कहना नहीं होगा कि विनाश के इस क्रम में वह व्यक्ति भी टूट जाया करता है । लोगों का विश्वास उस पर से उठ जाता है । समय एक नपुण वैद्य तो है ही, एक महान् न्यायाधीश भी है जो ऐसे मानवों को एक दिन बेनकाब कर देता है ।

दूसरी ओर एक ईमानदार व्यक्ति में छल की रेखाएँ नहीं होती, वह 'खण्डित व्यक्तित्व' का अभिशाप नहीं

बनता । वह अपने मन-वचन-कर्म की रेखाओं को अपने चरित्र के विश्वास से एक करके साधना-दीप जलाता है । अन्तर्द्वन्द्व का अलग रूप से महत्त्व चाहे जो हो, द्विधा और अनिश्चय की निष्क्रियता उसे आक्रान्त नहीं करती । उसका पथ सीधा रहता है—भले ही कण्टकाकीर्ण और दुरुह हो; उसकी उक्ति साफ होती है—भले ही अधिकांश व्यक्ति उससे सहमत नहीं हो, उसके विचारों में भूल-भूलैया की बक्र रेखाएँ नहीं रहती—भले ही एक 'विशेष दृष्टि वालों' द्वारा वह असामयिक घोषित कर दिया जाय ।

अगर हम गहराई से विचार करें तो पाते हैं कि ईमानदारी एक नीति है । विकास-क्रम में मनुष्य ने अपनी दृष्टि से अलग-अलग पहलुओं और दर्शन की प्रतिष्ठा की । सामाजिक जीवन बिताने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से गतिशील रखने के लिए विद्वानों ने अलग-अलग विभाजन किया—धर्म, राज, समाज, अध्यात्म, विज्ञान इत्यादि खंडों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को सँजो कर रख दिया । अब इसके लिए नियमों की आवश्यकता पड़ी । फलतः हमारे सामने धर्म-नीति, समाज-नीति, राज-नीति इत्यादि स्वरूप आये जो मूलतः वैचारिक जगत के तथ्य थे । इन विविध नीतियों में ईमानदारी भी एक नीति है जिसका सीधा और सहज सम्बन्ध जीवन के साथ रहता है । यह जीवन-नीति है, मानव-नीति है । सही राज-नीति को परित्यक्त कर देने से राज्य के कार्यों को सम्पन्न करने में बाधाओं का आना स्वाभाविक है । धर्म-नीति की सच्चाई का परित्याग करके धर्म की पताका नहीं फहरायी जा सकती । उसी प्रकार ईमानदारी को छोड़ देने से जीवन का सर्वांगीण विकास असम्भव है । इसी कारण सुप्रसिद्ध विचारक फ्रैंकलीन ने ईमानदारी को 'सर्वोत्तम नीति' की संज्ञा दी । इसकी जड़ें हमारे जीवन में होती हैं, इसके श्वास-प्रश्वास हमारी धड़कन से उठते-गिरते हैं । मनुष्य स्वयं सृष्टि है, इसलिए उसके जीवन के हर अणु में बसने वाली ईमानदारी भी उसी की सृष्टि है जिसने

मनुष्य को सृष्ट किया है। ईमानदारी परमात्मा का उत्तरदान है जो परम पिता से मानव-पुत्र को प्राप्त हुआ है। तब भला इससे बढ़कर मानव के लिए सहज, सुन्दर और सर्वोत्कृष्ट उत्तरदान और क्या हो सकता है? अब हम ईमानदारी को दूसरी दृष्टि से देखें। मानव द्वारा सृष्ट नीतियों की भित्ति में यदि ईमानदारी नहीं रहे तो उन नीतियों का क्या महत्त्व होगा? क्या वे जीवन और समाज के लिए कल्याणकारी रह पायेंगी? उपयोगिता के भौतिक धरातल पर भले ही कुछ दूर तक उनका महत्त्व निरूपित हो जाय पर व्यापक मानव-सभ्यता और अकूल मानव संस्कृति के उद्घाटन और विकास की दृष्टि से ऐसी नीतियाँ अन्ततः विफल ही सिद्ध होंगी जिसकी संरचना में ईमानदारी की शुभ्रता नहीं हो, मंगलमयी भावना नहीं हो, उसके पालन की योजना नहीं हो, वह अधिक समय तक नहीं टिक सकती। आज हमें इसका ज्वलंत उदाहरण मिलता है। कुपथ पर चलती हुई, ईमानदारी की पवित्र सीख और भावना की उपेक्षा करती हुई आज की नीतियों ने मानव सभ्यता को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है, विध्वंस की आशंका से सभी त्रस्त हैं। युद्ध के बादल धरती के कुछ अधिक समीप लद आए हैं। प्रलय की प्रचण्ड ज्वाला का उत्ताप समस्त मानव-सभ्यता को गलाकर राख बना देगा। विवेक और ईमानदारी को ताखे पर रख कर अन्धे तूफान की तरह बेतहाशा भागने

का यही अंजाम होता है।

एक ईमानदार व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, क्योंकि ईमानदारी और स्वाभिमान में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। स्वाभिमान का अर्थ खोखला दर्प या झूठा घमण्ड नहीं होता। स्वाभिमान अपने चरित्र की पवित्रता को बनाए रखने का भाव है। चारित्रिक निष्ठा इसकी विशिष्ट पहचान होती है। ईमानदारी इस स्वाभिमान की सृष्टि करने में, उसे पवित्र भावना के रूप में उद्बोधित करने में बहुत सहायता पहुँचाती है। इस सम्बन्ध में एक विचारक की उक्ति है—“जो व्यक्ति स्वाभिमानी होगा वह अवश्य ही ईमानदार होगा।” एक अन्य विचारक ने भी कहा है—“ईमानदारी, वचन का पालन और उदारता—ये तीन गुण हैं जो स्वाभिमान के साथ अनिवार्य रूप से रहते हैं।

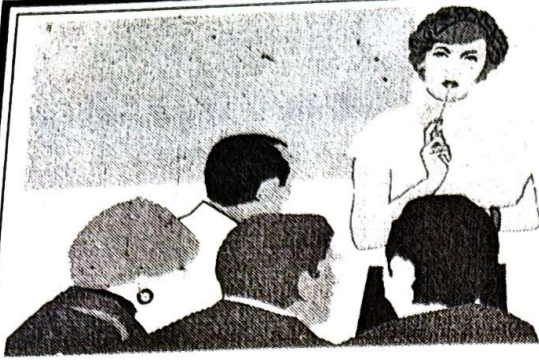
ईमानदार व्यक्ति सर्वत्र वन्दनीय होता है। वही समाज में सच्ची प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जन-सेवा में आजीवन रत रहने की कसमें खाने वाला, व्रत लेने वाला भी यदि ईमानदारी के साथ अपनी साधना नहीं करे तो उसका महत्त्व कुछ भी नहीं होता और न उसका सेवा-व्रत कभी सफल होता है। अन्त में कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से किए गए चिन्तन और कर्म कभी व्यर्थ सिद्ध नहीं होते, वे सदैव लोक-कल्याणकारी होते हैं। इतना ही नहीं, ईमानदार व्यक्ति को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति न तो बुद्धिमान हो सकता है और न सुरक्षित रह सकता है।

“शुद्धः स एव कुलजश्च स एव धीरः
श्लाघ्यो विपत्स्वपि न मुञ्चति यः स्वभावम्।
तप्तं यथा दिनकरस्य मरीचिजाले—
देहं त्यजेदपि हिमं न तु शीतलत्वम् ॥”

अर्थात्

“वही पवित्र है, वही कुलीन है, वही धीर है और वही प्रशंसनीय है जो विपत्ति में भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। जैसे सूर्य की किरणों से संतप्त होकर भी हिम अपना आकार भले ही छोड़ दे किन्तु शीतलता नहीं छोड़ता।”

शुभाषितावलि: (पृष्ठ-४३)



घरेलू प्रशिक्षण-एक सही प्रयास

—श्री अजीत कुमार सिन्हा,
अनुभाग अधिकारी

भारत के संविधान की धारा 148 से 151 के तहत भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख "भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक" के संबंध में संवैधानिक उपबन्धों का उल्लेख है जिन्हें पूरी अर्थव्यवस्था के "प्रहरी" के रूप में जाना जाता है। भारत के विकास एवं बढ़ती आर्थिक अराजकता के परिप्रेक्ष्य में इस संस्था की भूमिका और भी अहम हो गई है। ऐसे जटिल समय में इस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का गहन प्रशिक्षण अनिवार्य है ताकि वे लोग अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह सही ढंग से कर सकें। सामान्यतया इस विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण देने का कार्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आर. टी. आई.) द्वारा किया जाता है। अब प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रायः सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में घरेलू प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। महालेखाकार (ले० एवं ह०) II के कार्यालय, बिहार, पटना को भी घरेलू प्रशिक्षण देने का भार मुख्यालय ने सौंपा है।

इस कार्यालय के संदर्भ में मेरी व्यक्तिगत अवधारणा है कि यह योजना "रीढ़ की हड्डी" के रूप में सिद्ध होगी क्योंकि राज्य / केन्द्र सरकारों द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले नियमों, संकल्पों, परिपत्रों आदि की अद्यतन जानकारी कर्मचारियों को होनी चाहिए ताकि उनके आधार पर पेंशनों का निर्धारण, वेतन पुर्जा को निर्गत किया जाना एवं अन्य संबंधित कार्य नियमानुकूल किया जा सके। इस योजना से वैसे कर्मचारी अवश्य ही प्रशिक्षित हो सकेंगे जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति पाई है।

इसके अतिरिक्त अन्य संवर्गों के अधिकारीगण / कर्मचारीगण की कार्यक्षमता में सुधार लाया जा सकेगा। विशेषकर नये पदोन्नत अनुभाग अधिकारी घरेलू प्रशिक्षण से ही लाभान्वित होकर अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने में सक्षम हो सकेंगे।

जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इसे कारगर कैसे बनाया जाय। इस संदर्भ में स्थानीय प्रशासन द्वारा वरिष्ठ लेखा अधिकारियों/लेखा अधिकारियों, सहायक लेखा अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों से अपेक्षित सुझाव लिये गये हैं ताकि भविष्य में प्राप्त सुझावों के आधार पर इस योजना को और अधिक कारगर बनाया जा सके।

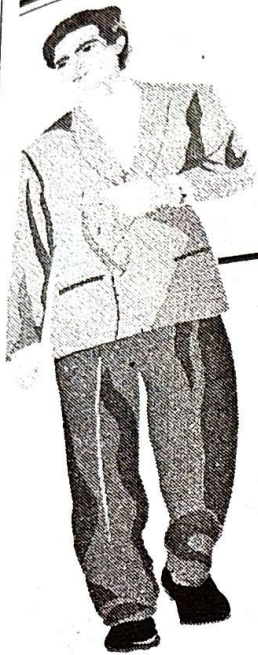
घरेलू प्रशिक्षण के अंतर्गत कुछ महीनों पूर्व पटना स्थित ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थानों के व्याख्याताओं द्वारा प्रशिक्षण के क्रम में व्याख्यानमाला देने की व्यवस्था की गई थी जिसे सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है। पूरे कैलेंडर वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विषयों का निर्माण कर प्रशिक्षण चलाने की जो व्यवस्थित योजना है जिसके आधार पर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि घरेलू प्रशिक्षण योजना आने वाले दिनों में सफल योजना के रूप में जाना जा सकेगा।

घरेलू प्रशिक्षण के प्रति कर्मचारियों की अभिरुचि निश्चित रूप से बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यह है कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अन्यत्र नहीं जाना पड़ता है।

इस योजना को और अधिक सफल बनाने हेतु सुझाव है कि:-

1. प्रशिक्षण प्राप्त करने के प्रति लोगों की अभिरुचि बढ़ाई जाय,
2. प्रशिक्षण देने हेतु उचित पद्धति (Methodology) का प्रयोग किया जाना चाहिए,
3. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को समय से सूचना दी जानी चाहिए, साथ-ही-साथ प्रशिक्षण हेतु चयनित विषय का सार-लेखन (Synopsis) प्रशिक्षण से पूर्व उपलब्ध कराया जाना चाहिए,
4. चयनित पाठ्यक्रमों का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों ही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए,

5. प्रत्येक विभागीय परीक्षा के पूर्व इस परीक्षा के तैयारी हेतु प्रशिक्षण वर्ग-प्रशिक्षण (Classroom training) के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए।
6. स्थानीय प्रशिक्षण एवं परीक्षा अनुभाग के अंतर्गत एक ऐसे पुस्तकालय की स्थापना की जानी चाहिए जहाँ वैसी सभी पुस्तकों, अभिलेखों, परिपत्रों आदि का संग्रह हो जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यालय द्वारा संपन्न किये जाने वाले कार्यों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा सकें।



॥ कतात ॥ शेर

—श्री आशुतोष झा
प्रशा० III

भींगा हुआ लहू में पै रहने सदा हूँ
सांसो की अलगनी पे फैला दिया गया हूँ
कुछ बनना चाहता हूँ क्या बनना चाहता हूँ ?
सदियों से बन रहा हूँ अब तक नहीं बना हूँ।

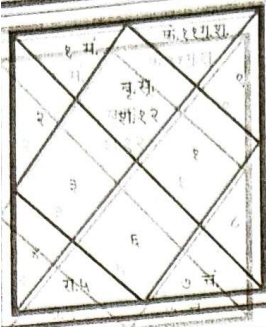
गजल

यूँ ही बे सबब न फिरा करो
कोई शाम घर में रहा करो
वो गजल की सच्ची किताब है
उसे चुपके-चुपके पढ़ा करो।

कोई हाथ भी न मिलायेगा
जो गले मिलोगे तपाक से
ये नये मिजाज का शहर है
जरा दूर ही से मिला करो।
मेरी मौत मेरे करीब हो
ये खुशी भी तुमको नसीब हो

कभी तुम से ये तो कहा नहीं
मेरी जिन्दगी की दुआ करो
नहीं मुझसे जब कोई वास्ता
तो ये तुमसे है मेरी इलतेजा
रहे क्यूँ ये यादों का सिलसिला
मेरे नाम खत न लिखा करो।

ये सबब है मेरे ओरुज का
है यही बुजर्गों का मशविरा
जले तुम से आशु हजार वो
कभी तुम न उनसे जला करो।



ज्योतिष कुण्डली में राहु-केतु का प्रभाव

श्री ललन प्र० श्रीवास्तव
वरिष्ठ लेखा अधिकारी
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

पुराण की कथा में वर्णन है कि हिरण्यकशिपु की पत्नी जम्भ-पुत्री दानवी कयाधु थी जिनके चार पुत्र-संहार, अनुहार, हार और प्रह्लाद थे। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था सिंहनी। सिंहनी का विवाह बेप्रचित नामके दानव से हुआ था, जिसके पुत्र का नाम था राहु। यही राहु जब समुद्रमंथन से प्राप्त अमृतपान के समय अपना असुर वेष बदलकर देवताओं की पक्ति में बैठ गया तब सूर्य और चन्द्रमा ने इसका भेद खाल दिया। कथा है कि भगवान विष्णु ने मोहनीरूप धारण कर सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया जिससे राहु का शरीर के दो भाग हो गये-सिर और धड़। सिर को राहु और धड़ को केतु कहा गया। राहु-केतु का निर्माण राहु के शरीर के दो भाग हो गये-सिर और धड़। सिर को राहु और धड़ को केतु कहा गया। भूमतपान कर लेने के कारण दोनों भाग जीवित रह गये और अपने-बैर को स्मरण करके राहु अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य और चन्द्रमा पर आक्रमण करता है। भगवान ने सूर्य और चन्द्रमा की रक्षा के लिए अपने अश्व सुदर्शन चक्र को तैनात कर रखा है जो निरन्तर वहाँ घूमता रहता है। सुदर्शन चक्र से छिटके असह्य तंज के डर ने राहु सूर्य और चन्द्रमा के पास मुहूर्त्तमात्र ही ठहर कर लौट आता है। सूर्य और चन्द्रमा के पास राहु के इस मुहूर्त्तमात्र ठहराव को ही 'ग्रहण' कहते हैं।

किन्तु, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ब्रह्माण्ड के दो छोर माने गये हैं जिनमें से एक छोर को राहु और दूसरे छोर को केतु कहा गया है। राहु-केतु की यद्यपि ग्रह के अधीन या स्वतंत्ररूप से ग्रह नहीं माना जाता है, किन्तु कुछ ज्योतिषाचार्यों ने राहु-केतु को भी ग्रह मानकर उनकी राशियाँ क्रमशः मिथुन और धनु बतलाते हैं। ज्योतिष में हुए नवीनतम शोध के अनुसार राहु-केतु को स्वतंत्रग्रह न मानकर 'ग्रह-छाया' माना गया है, किन्तु कुण्डली के फलकथन में राहु-केतु का विचार भी अन्य ग्रहों की तरह ही होता आ रहा है।

वैज्ञानिक दृष्टि से राहु-केतु का महत्त्व नहीं है। वस्तुतः ये दो बिन्दु नाम हैं। सूर्य और चन्द्रमा अपनी गति से जिस पथ का निर्माण करते हैं वे एक दूसरे को दो बिन्दुओं पर काटते हैं जिनकी दूरी 180° डिग्री होती है और यह दूरी हमेशा बनी रहती है। इसमें एक बिन्दु को राहु और दूसरे बिन्दु को केतु कहते हैं।

चौक वैदिक युग ज्योतिष का आरम्भिक युग था अतः पुराण कथा में राहु को राक्षस (असुर) माना गया है, किन्तु ज्योतिषशास्त्र में राहु को कर्म एवं केतु को मोक्ष का कारक समझा जाता है तथा राहु से वर्तमान एवं भविष्य का फल एवं केतु से पूर्वजन्म का फल ज्ञात किया जाता है।

जन साधारण में यह प्रचलित है कि राहु और केतु जातक को सर्वदा हानि पहुँचाते हैं या दुःख देते हैं। राहु और केतु को क्रूर ग्रह (अशुभग्रह) कहा गया है। वैसे सूर्य, शनि और मंगल भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ ग्रह (पापग्रह) माने गये हैं। राहु-केतु के सम्बंध में कहा गया है कि "शनिवत् राहु, कुजवत् केतु" यानी राहु शनि के सदृश्य तथा केतु मंगल के सदृश्य अशुभफलदायक हैं तथा जातक को रोग, दुर्घटना, और मृत्यु देते हैं।

यह सत्य है कि राहु-केतु, शनि और मंगल की तरह पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं किन्तु सभी ज्योतिषाचार्यों यह सत्य है कि राहु-केतु, शनि और मंगल की तरह पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं किन्तु सभी ज्योतिषाचार्यों

द्वारा यह निर्विवाद रूप से स्वीकारा गया है कि ये दोनों ग्रह यानी राहू-केतु जातक को हमेशा कष्ट या दण्ड ही दें, यह आवश्यक नहीं है। उदाहरणस्वरूप मंगल ग्रह को ही लें तो हम पाते हैं कि शुभ प्रभाव में स्थित मंगल जातक को साहसी, उत्तम संतान, भू-सम्पत्ति का स्वामी, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च पद प्राप्ति में सहायक होता है। कुण्डली में अपनी स्थिति विशेष के फलस्वरूप पापीग्रह शनि भी लम्बी आयु, धन-सम्पदा, शक्ति एवं प्रसिद्धि देने में सक्षम है। अतः राहू-केतु भी अपनी स्थिति एवं बलाबल के अनुसार शुभफलदायक हो सकते हैं। राहू-केतु कुण्डली में किस स्थान पर तथा किस राशि में बैठे हैं तथा किस ग्रह के साथ संयुक्त होकर बैठे हैं इन सभी तथ्यों पर विचार करके ही उनसे प्राप्त फल शुभ या अशुभ के विषय में सही जानकारी प्राप्त हो सकती है।

कुण्डली में बारह भाव होते हैं तथा इन्हीं बारह भावों में बारह राशियाँ होती हैं। पुनः सभी ग्रह सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहू तथा केतु इन्हीं बारह भावों / राशियों में कहीं भी हो सकते हैं, किन्तु राहू-केतु की विशेषता यह है कि वे हमेशा एक दूसरे से 180° पर यानी एक दूसरे से सातवें स्थान (भाव) में ही विद्यमान होंगे जबकि अन्य ग्रहों के लिए हमेशा 180° डिग्री पर होना आवश्यक नहीं है। सभी ग्रहों की मित्र एवं शत्रु राशियाँ होती हैं। कर्क राशि जिसका स्वामी चन्द्रमा है तथा सिंह राशि जिसका स्वामी सूर्य है राहू-केतु की शत्रु राशियाँ हैं।

कुण्डली के ग्रह-फल पर विचार करते समय ग्रहों की स्थिति एवं उनके गुण तथा स्वभाव का सूक्ष्म अध्ययन अतिआवश्यक है। सभी ग्रहों का उनके बलाबल तथा स्थिति के अनुसार अपनी भूमिका होती है। ग्रह विशेष की कुण्डली में क्या भूमिका सम्भावित है इसको ज्ञात करने के लिए ज्योतिष के मूलभूत तथ्यों पर गहन विचार करना अतिआवश्यक है, जैसे :-

1. ग्रहों का नैसर्गिक / तात्कालिक गुण (2) ग्रहबल (3) कारकत्व (4) भावेश (5) दशा (6) ग्रहों की दृष्टियाँ तथा परस्पर-मित्रता-शत्रुता (7) गोचर (8) विभिन्न योग।

शुभ अथवा अशुभ ग्रह कुण्डली में अपनी स्थिति एवं बलाबल के आधार पर अपनी दशा-अर्न्तदशा में अपने नैसर्गिक या तात्कालिक गुण-स्वभाव एवं कारकत्व के अनुसार भाव से सम्बंधित अनुकूल या प्रतिकूल फलदायक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी ग्रह अपनी स्थिति, गुण एवं स्वभाव के अनुसार हमें पुरस्कृत करते हैं या दण्ड दे सकते हैं। अतः दण्ड या दुःख-हानि आदि के लिए केवल राहू और केतु को ही जिम्मेवार मान लेना भूल है। सूर्य हमें मित्रों या प्रियजनों से अलग करके दण्डित करते हैं तो शनि अनावश्यक विलम्ब द्वारा हानि पहुँचाते हैं। चन्द्रमा मानसिक चिंता दे सकते हैं तो मंगल चोट या दुर्घटना तथा झगड़ा-मुकदमा द्वारा दंडित करते हैं। अतिशुभ ग्रह वृहस्पति जो ज्ञान तथा संतान के कारक ग्रह हैं तथा देवताओं के गुरु माने जाते हैं, जब अशुभ प्रभाव में स्थित होते हैं तो अशुभफल देने में किसी भी पापग्रह से पीछे नहीं हैं। अतः कुण्डली के अध्ययन में धैर्य एवं पूर्ण विश्लेषण की आवश्यकता है तथा फल-कथन से सम्बंधित सभी पक्षों का पूर्ण एवं सांगोपांग विचार करके ही सुनिश्चित किया जा सकता है कि ग्रह-विशेष अपने भाव से सम्बंधित कैसा फल कब देने में समर्थ है।

यहाँ हम राहू-केतु के प्रभाव पर विचार करें तो पाते हैं कि राहू-केतु एक राशि पर डेढ़ वर्षों तक रहता है तथा तिरानबे वर्ष व्यतीत होने पर राहू-केतु पुनः उसी राशि तथा नक्षत्र में आ जाते हैं जहाँ वे तिरानबे वर्ष पूर्व थे। राहू का अधिकार पैर के उपरी भाग पर है तो केतु का तलवे पर। राहू का अध्ययन शक्ति, उद्योग, कुशती, मोटापा, पराक्रम, खर्च, राजनीति, दुःख, शत्रुता एवं अलगाव के लिए किया जाता है तो केतु का अध्ययन भयानक

एवं विचित्र स्वप्न, दुर्घटना, फोड़ा-फुंसी, कैंसर, चर्मरोग, कुष्ठ तथा कमी के लिए किया जाता है ।

कुण्डली के तीसरे, षष्ठ, दशम् एवं ग्यारहवें भाव में राहू-केतु सामान्यतः शुभ फल दायक होते हैं । किन्तु चतुर्थ, अष्टम एवं द्वादशभाव में अशुभ फलदायक हैं । जातक की कुण्डली में यदि राहू-केतु शुभ स्थिति में हों तो अनुकूल और यदि अशुभ प्रभाव में हों तो प्रतिकूल फल देते हैं जो इस प्रकार हैं :-

राहू :-	अनुकूल फल	(शुभ स्थिति में)	-	राजनीति में सफलता, धन लाभ ।
	प्रतिकूल फल	(अशुभ स्थिति में)	-	धन-जन की हानि, मारे-मारे घूमना, मदिरा सेवी, भौतिक पीड़ा ।
केतु:-	अनुकूलफल	(शुभ स्थिति में)	-	सुशिक्षा, कर्मनिष्ठा, शत्रुनाशक, भूमि-भवन सुख, शुभ कार्य में धन व्यय ।
	प्रतिकूलफल	(अशुभ स्थिति में)	-	नेत्ररोग, बवासीर, कैंसर, मुकद्दमें में पराजय या सजा, प्रवास-पीड़ा ।

यहाँ पाठकों की जानकारी हेतु राहू-केतु का कुण्डली के विभिन्न बारह भावों में सम्भावित सामान्यफल दिये जा रहे हैं :-

प्रथमभाव	राहू :	-	उम्र के साथ दुःख वृद्धि, महत्वाकांक्षी, स्वच्छाचारी ।
	केतु :	-	मन में अशांति बने रहना, वात-रोग, घाव या चोट का चिह्न (किन्तु प्रथमभाव में केतु यदि कुम्भ राशि में हो तो स्थित सम्पत्ति का लाभ)
द्वितीयभाव	राहू :	-	कर्ज, चिड़चिड़ापन, रोगी, दन्त-रोग
	केतु :	-	मुखरोग, पारिवारिक कलह
तृतीयभाव	राहू :	-	प्रभावशाली, बलवान, उम्र के साथ उत्तरोत्तर उन्नति, अनुज का अभाव
	केतु :	-	शत्रु-नाशक, साहसी, ऐश्वर्यभोग, चंचल स्वभाव
चतुर्थभाव	राहू :	-	माता को हानि, स्थायी सम्पत्ति, द्विभार्यायोग, राजनीति में पूर्ण सफलता, किन्तु क्रूर स्वभाव, उदररोगी
	केतु :	-	पैतृक सम्पत्ति का नाश, अल्प माता-सुख, किन्तु धनु या मीन राशि में केतु अकस्मात् धन-लाभ दे सकते हैं।
पंचमभाव	राहू :	-	शिक्षा में व्यवधान, गर्भनष्ट, यदि द्वितीयेश या सप्तमेश के साथ हो तो अपनी दशा में मृत्यु तक दे सकते हैं।
	केतु :	-	अल्प संततिवाला, वात-रोगी, साधारण शिक्षा, खल प्रकृति ।
षष्ठभाव	राहू :	-	पेट-रोग, विजयी, शत्रु-हंता, धन-लाभ, पराक्रमी।
	केतु :	-	सर्कीण विचार, मितव्ययी, विजयी किन्तु झगड़ालू ।
सप्तमभाव	राहू :	-	शादी में देरी या दो विवाह, क्रोधी किन्तु उम्र के साथ सुख-वृद्धि, दाम्पत्य-जीवन में तनाव, ईश्वर-भीरू ।

अष्टमभाव :	केतु :	-	व्यर्थचिन्ता, धन-नाश, स्त्री को पीड़ित करनेवाला ।
	राहू :	-	बवासीर, पत्रकार, लेखक, कठोर परिश्रमी, कामी जेल का भय । किन्तु मिथुनराशि का राहू हो तो दीर्घायु ।
	केतु :	-	जल में डूबने का भय, वाहन-दुर्घटना से मृत्यु, अल्पायु, धनहीन, रोगी ।
नवमभाव :	राहू :	-	धनी, विख्यात, माता-पिता से दूरी, घृणा ।
	केतु :	-	शुभ प्रभाव में हो तो भाग्यवर्द्धक, मंत्रीपद, कीर्ति-लाभ ।
दशमभाव :	राहू :	-	राजनीतिज्ञ, बैंक की नौकरी, मुकदमा में विजय, माता-पिता को कष्ट ।
	केतु :	-	अल्प पितृ-सुख, किन्तु धनु या मीन राशि में केतुसे धन लाभ ।
एकादशभाव :	राहू :	-	अतिशुभफल, अर्थागम, धन-सम्पत्ति, मकान, एवं संतान सुख ।
	केतु :	-	अचानक धन-लाभ, भाग्यवान, तेजस्वी, मधुभाषी ।
द्वादशभाव :	राहू :	-	उम्र के साथ सुख वृद्धि, आय-व्यय दोनों अधिक, नेत्ररोग, शत्रुसंहारक, कामी ।
	केतु :	-	उच्चपद, श्रेष्ठकार्य में धन-व्यय, मुकदमें में जीत, धार्मिक प्रवृत्ति। राहू की शांति हेतु सात से आठ रस्ती का गोमेद एवं केतु की शांति हेतु लहसुनिया धारण करना लाभदायक सिद्ध होता है ।

उपर्युक्त फल सामान्य अवस्था में ही लागू हो सकते हैं । राहू-केतु पर पड़नेवाली अन्य शुभ-अशुभ ग्रहों की दृष्टियाँ स्वराशि-स्थित, उच्च, नीच या शुभ राशि स्थित होने पर कुण्डली में राहू-केतु के प्रभाव तथा उनकी भूमिका में परिवर्तन आ सकता है तथा तदनुसार फल के परिणाम में तीव्रता हास आ सकता है । फल कथन करते समय कुण्डली के दोनों पक्ष यानी जन्म-कुण्डली तथा गोचर को मिलाकर ग्रह-स्थिति तथा दशा-अर्न्तदशा का विचार करके भविष्यवाणी की जाय तो वह सत्य के अधिक निकट हो सकती है ।

मैं दुनियाँ की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परन्तु मेरे देश में हिन्दी की इज्जत न हो, यह मैं नहीं सह सकता ।

—आचार्य विनोबा भावे

राष्ट्रभाषा के प्रचार को मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ ।

—डॉ० राजेन्द्र प्रसाद



“निम्न आय वर्गीय परिवार की व्यथा और शराब”

— श्री रामबाबू राम,
अनुभाग अधिकारी

आजादी के 50 वर्षों बाद भी यह कितनी बड़ी त्रासदी है कि अस्तित्व कायम करने की बेचैनी, नौकरी की उम्र खत्म होने की चिंता के बीच सपने बिखरने का डर और कदम-कदम पर शोषण, उत्पीड़न और कुंठाओं के साथ जीने की मजबूरी तथा रूढ़िवादी संस्कार में तिल-तिलकर जीने या फिर इन्सान को आत्म हत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है।

आज इस देश में अपनी सरकारें हैं, जहाँ कि अधिकांश जनता छोटे-छोटे घरों व झोपड़ियों में निवास करती है। जनसंख्या की वृद्धि ने गाँव से शहर तक रोजगार के लिए जनता को परेशानियों में डाल रखा है। दैनिक मजदूरी और रोजगार के अभाव में युवक ऋण लेकर, गाँव छोड़कर शहरों की ओर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। शहरों में महंगाई के भार से अच्छे मकान व घरों में रहने के स्थान पर छोटी-छोटी झोपड़ियों में रहने को वे मुहताज हैं। कम मजदूरी देकर मजदूरों से अधिक काम लेने की प्रवृत्ति, रोजगार मालिक, संस्था व मिल मालिक की रही है। मजदूरों के शोषण की व्यथा कम्पनी व्यवस्था के साथ जन्मी है, जिसका कुप्रभाव देश के छोटे-बड़े शहरों जैसे: मुम्बई, कलकत्ता, गाँधीनगर (गुजरात) व पटना (बिहार) में सभी जगह देखने को मिल रहा है, और यह शोषण व्यवस्था गाँव की राजनीति में भी पहुँच गई है।

केन्द्र से लेकर राज्य की सरकारें ‘जवाहर रोजगार योजना’ चलाकर आय का स्रोत बढ़ाना चाहती है तो “इन्दिरा आवास” व ‘डॉ० अम्बेदकर रैन बसेरा’ की

व्यवस्था कराकर रहने के लिए आवास / स्थान दे रही हैं। फिर भी आय निम्न होने से परिवार का समुचित भरण-पोषण नहीं हो पाता है। पारिवारिक परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं, कारण नन्हें बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, जीवन की रक्षा हेतु समुचित भोजन-वस्त्र व पोषक तत्व मयस्सर नहीं हो पाता है। धीरे-धीरे पुरुष-प्रधान समाज का श्रमिक लाचार होकर अपने गाढ़े-पसीने की कमाई शराब पीकर पारिवारिक परेशानियों को भूलने में खर्च करने लगता है ताकि अपनी थकान को और पेट की भूख को कम पैसा में बाजारू शराब पीकर शान्त कर आराम कर सके। यह एक कटु सत्य है जो सहज ही देखा जा सकता है।

मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने आसपास की समस्याओं में घिर जाता है और उलझकर जान दे देता है। किसी के जीवन की व्यथाओं पर आंसू की दो बूंद बहाकर अपनी मानवता का परिचय तो हम दे देते हैं मगर उसकी समस्याओं को देखने-सुनने और कम करने का प्रयास हम नहीं करते। कारण है कि इस मशीन युग की भाग-दौड़ में अपनी समस्या के अलावे सामने वाले के लिए समय कहाँ है ?

आज के परिवेश में उच्च वर्गीय शिक्षित घरों के पति-पत्नियाँ प्रायः रोजगार व नौकरी पेशा में लगे हुए हैं, वहीं निम्न आयवालों की पत्नियाँ दाई का पेशा, मजदूरी या कुछ शराब का या अन्य धंधा चलाने का पेशा कर परिवार चलाती हैं। परन्तु निम्न वर्गीय आय वालों में 70 से 80% लोग धीरे-धीरे शराब पीने के

आदी होते जा रहे हैं। आखिर में उनका वही रहन-सहन का स्तर बन जाता है। बच्चों को स्कूल भेजने या उनकी शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था वे सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, भगवान भरोसे ही उनका घर-परिवार चलता है। दूसरा, निम्न आय वर्गीय समाज में कम उम्र में ही शादी-ब्याह कर दिया जाता है। कच्ची उम्र में ही वे एक दो बच्चों के मां-बाप बन जाते हैं जिससे उनकी आर्थिक हालत कमजोर हो जाती है। परिवार में पति अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं देकर शराब के पीछे मस्त रहता है।

कुछ निम्न आय-वर्गीय परिवार से सम्पर्क करने और कुछ के नाटकीय दृश्य देखने पर बात जहन में आती है कि उन परिवारों की रात काली एवं दिन सूना-सूना-सा लगता है। इन भुक्त भोगी परिवारों से और खासतौर पर औरतों से बातें करने पर उनकी व्यथा सुनने पर मन गहरी संवेदना में डूब जाता है। जैसे—

प्रथमतः श्रीमती बेबी अपने परिवार में पति की आय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करती है और कहती है कि वह शराब में धुत्त रहता है और स्वादिष्ट भोजन मांगता है यदि वह वैसा नहीं करती है तो उसका पति आग बबूला हो जाता है और उसकी खूब पिटाई कर देता है। दूसरी ओर श्रीमती कमला कहती है कि उसके परिवार में उसका पति शराब पीकर आता है और बड़े कठोर ढंग से उससे पेश आता है। अतएव पुरुष जाति से उसे घृणा होने लगती है। तीसरी, श्रीमती पार्वती जो हीरादत्त की पत्नी है और दिन भर प्राइवेट काम करती है, का कहना है कि उसका पति हीरादत्त स्वयं शराब पीने में मस्त रहता है। उसने बच्चों के भरण-पोषण का भार पत्नी पर छोड़ रखा है। आखिर औरत-औरत है पर हीरादत्त खाने में अपनी पत्नी से बकरे का मांस और कबाब मांगता है नशे में धुत्त हो, वह अपनी पत्नी (पार्वती) की खूब धुनाई कर देता है। वह (पार्वती) किस से अपने दुख-दर्द सुनाये। अगल-बगल में वैसे ही परिवार का बसेरा है जिसकी तकदीर में शारीरिक

दुख के अलावे कुछ भी नसीब नहीं।

मनुष्य सब कुछ सहते हुए भी पेट की भूख नहीं सह सकता है। फलतः भूखा व्यक्ति नीच-से-नीच कर्म करने को भी तैयार हो जाता है। वस्तुतः 'बुभुक्षितं किं न करोति पापम्' चरितार्थ होने लगता है। अन्न के अभाव में घास-पात भी खाने लगता है। परन्तु वर्तमान समय में निम्न आय वर्गीय शराब पीकर भूख की ज्वाला शांत करते हैं। वस्तुतः इस घोर कलियुग में माँ-बाप, भाई-बहन, पति-पत्नी के संबंध भी खत्म होने लगे हैं। जहाँ निम्न आय वर्गीय परिवार है, वहाँ तो ऐसे ही चूहे दंड पेलते हैं और उसमें भी शराब का प्रवेश पारिवारिक सुख-शान्ति का माहौल, शिक्षा-दीक्षा, सामाजिक स्तर को प्रभावित किये बिना नहीं रह पाते हैं। समाज में निम्न आय की व्यथा और शराब सेवन बढ़ते जा रहे हैं।

आज देश और राज्य में अपनी सरकारें हैं; विकास की अपनी योजनाएँ हैं और देश में उपज बढ़ाने और कृषि को उन्नत करने के लिए बहुत से नये तरीके अपनाये जा रहे हैं। वहीं उद्योग को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। परन्तु, यह निम्न आय वर्गीय वाले परिवार जहाँ शराब पीकर अपने अभावों की जिन्दगी भुलाने हेतु अधिक परिश्रम कर धन उपार्जन को भूलकर, सुलभ माध्यम से शराब का सेवन कर अपनी पारिवारिक आय को धूल में मिला देता है और खुद शराब के नशे में हसीन जिन्दगी का ख्वाब देखने लगता है। जीवनोपयोगी साधनों की कमी ही इस सामाजिक बुराई का कारण है। पुरुष अपने पत्नी और बच्चों को ही इसका कारण मानते हैं और जिसके दुख और भूख की मार बच्चों और स्त्रियों को झेलनी पड़ती है। वह मांस, कबाब और शराब की लत में मस्त रहकर मेहनत और गाढ़े पसीने की कमाई को डूबो देता है, साथ ही डूबो देता है परिवार की नैया को भी। यहाँ तक कि आज पारिवारिक कष्ट, द्वेष, आत्महत्या, व्यभिचार, का साम्राज्य भी इसी कारण बढ़ता जा रहा है।

दूसरी ओर इन निम्न आय वर्गीय वाले परिवार के

फिल्मी धुन के नशे में विस्मृत कर देते हैं तथा अपने जीवन के स्वर्णिम स्वप्न को भी धूल-घूसरित कर देते हैं, उनमें भी प्रायः शराब पीकर अपने दुःख व गम को भुलाने की लत पड़ जाती है।

आज की महँगाई के युग में एक आदमी की कमाई से घर नहीं चल सकता। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई ठीक तरह से नहीं हो सकती। हम अपनी पसंद की कोई कीमती वस्तु नहीं खरीद सकते। ऐसी स्थिति में निम्न आय वर्गीय लोग शराब पर खर्च कर अपार दुःख लेने के सिवाय और कुछ नहीं करते हैं। ऐसे अपने ही

परिवार को देखा जाय तो कभी-कभी किसी वस्तु की कमी महसूस की जाती है, जैसे-शादी-विवाह के उत्सव के समय अधिक धन खर्च करने की प्रथा है, परन्तु समय के अनुसार महँगाई एवं अपनी निम्न आय को ध्यान में रखकर यदि कम-से-कम शराब का इस्तेमाल करें और कम-से-कम अपने निकट संबंधियों को आमंत्रित करें और उनके ठहरने तथा खान-पान की उचित व्यवस्था करें तो कुल मिलाकर मानसिक शांति कायम रखी जा सकती है और गृह कलह से भी बचा जा सकता है।

अग्नि से बचाव

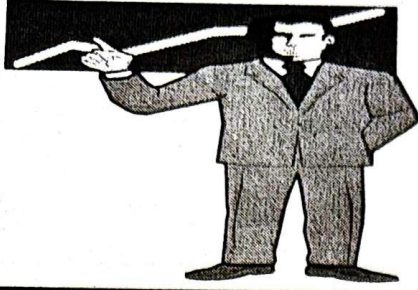
श्री बंशीधर मिश्र
अनुभाग अधिकारी

बात लगभग बीस वर्ष पूर्व की है। उन दिनों मैं उच्च विद्यालय में अध्ययनरत था। जून-जुलाई माह का समय था तथा चाहे-अनचाहे आँधियाँ आ जाया करती थीं। मैं अपने मामाजी के घर ग्राम-पुरखौली, भाया-लालगंज, जिला-वैशाली गया हुआ था। ग्रामीण इलाकों में प्रायः लोग शाम में झाड़ू-बुहारू करने के उपरान्त आग (गन्दगियों में) लगा दिया करते हैं। इसी क्रम में मेरे मामा के घर में संध्या समय किसी ने यही कार्य कर दिया था तथा किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं था। तभी अचानक देखते-देखते जोरों की आँधी आयी और आग सड़क से (मामा का घर सड़क के किनारे ही है) ग्रामीण इलाकों में काफी तेजी से फैलने लगी। ऐसी स्थिति में ग्रामीण महिलायें, बच्चे छाती पीट-पीटकर, आग लगने की आशंका को ध्यान में रखकर, चिल्लाने तथा रोने लगे। मैं वहीं सड़क पर चहल-कदमी कर रहा था तथा इस भयावह स्थिति को देखकर किंकर्तव्यविमूढ़ हुआ जा रहा था। मेरे काँधे पर एक छोटी तौलिया भी थी। तभी न जाने कहाँ की मुझे सूझी कि मैं तौलिये से आग को ढककर बैठ गया तथा इस तरह अग्नि-ज्योति का ग्रामीण इलाकों में जाना थम गया। आग तो लगने से बच गयी परन्तु मेरी स्थिति काफी दयनीय हो गयी थी। तौलिया झुलस चुकी थी तथा मेरे हाथ की तीन उँगलियाँ बुरी तरह झुलस चुकी थीं। परन्तु, मेरी ओर ध्यान देने वाला संयोगवश कोई नहीं था। तभी अचानक तीन व्यक्ति जो कि किसी की अगुआई (शादी हेतु) में आये थे, हाथों में लोटा लेकर जाते दिखे। मैं कुछ बोल पाता इससे पूर्व ही एक बुजुर्ग महानुभाव को मेरी दयनीय दशा देखकर दया आयी तथा तीनों व्यक्ति ने, मैदान (लेट्रीन) न जाकर तत्क्षण तीनों लोटे के पानी से आग पर काबू पाया तथा काफी शोर मचाने पर फिर बाल्टी-आदि से पानी लाकर आग को बुझाया जा सका। तदुपरान्त मुझे देखनेवाला कोई न था सिवाय माँ के। उन्होंने मेरी वीरता एवं सूझ-बूझ की काफी तारीफ की तथा मेरे जन्म को सफल बताया। मैं भी उनके आँचल तले अपनी पीड़ा को आसुँओं के रूप में बहाकर धन्य-धन्य हो गया। इस तरह एक भयानक हादसे से उस गाँव का बचाव हुआ जिसे बहुत कम लोग ही जान पाये।

माँ

श्री चन्द्रिका सिंह,
वरिष्ठ लेखाकार

माँ एक देवी का नाम है,
माँ एक ममता की पहचान है,
माँ एक आँचल का नाम है,
माँ एक जीने का अहसास है,
माँ एक जिन्दगी का नाम है ।
माँ एक समुद्र का ख्याल है,
माँ एक आँचल में ममता की छाँव है,
माँ एक जीने की आस है,
माँ स्वर्ग समान है,
माँ के चरणों में उन्नत जहान है,
माँ एक विश्वास का नाम है,
माँ ज्योति के रूप समान है,
माँ शब्द दुनियाँ को करता उजागर
माँ पवित्र मंदिर के समान है,
माँ बच्चों का सही मार्ग दर्शन का नाम है,
माँ सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती का अवतार है,
माँ रूपी शब्द करता आत्मा को पवित्र है,
माँ सभी देवी-देवता के रूप का नाम है,
माँ सभी मानवों के मिलन का नाम है,
माँ जैसी संसार में कोई चीज है कहाँ ?
माँ के चरणों में सारा जहान है,
माँ के लिए तो सही वरदान है,
माँ तेरे बिना सारा जग वीरान है,
माँ हम तेरे सभी प्यारे नादान हैं ।



सोचने का ढंग

—श्री राम सुभग राम,
व.ले., प्रशिक्षण एवं परीक्षा
अनुभाग

पुराने जमाने में एक न्यायप्रिय राजा था जो अपने मंत्री के साथ सामान्य नागरिक के भेष में घूम-घूमकर अपनी शिकायत एवं प्रजा की तकलीफ जानना चाहता था। इलाहाबाद में कुम्भ मेला लगा था। राजा मंत्री के साथ मेला घूमने गया। घूमते-घूमते थक कर दोनों एक टेन्ट के पीछे बैठ गये। उसी टेन्ट की दूसरी तरफ तीन लड़कियाँ बैठी थीं एवं आपस में बातें कर रही थीं। उन लोगों की बात का विषय था कि संसार में सबसे प्यारा क्या है ?

एक लड़की बोली कि संसार में सबसे प्रिय मर्द होता है। मर्द के बिना स्त्री का जीवन बेकार होता है। दूसरी बोली कि नहीं, सखी ! संसार में सबसे प्रिय वस्तु माँस होता है। इस पर तीसरी बोली कि तुम दोनों गलत हो। संसार में सबसे प्रिय वस्तु शराब होती है। (पहली लड़की उसी राजा की लड़की थी जो कुँआरी थी। राजा अपनी लड़की की आवाज पहचान गया पर चुप रहा। दूसरी लड़की मंत्री की लड़की थी। मंत्री भी अपनी लड़की की आवाज सुनकर चुप रहा। तीसरी लड़की दोनों के लिए अपरिचित थी)।

राजा, मंत्री के साथ उठकर चला एवं मंत्री को आदेश दिया कि कल दरबार में तीनों लड़कियों को पेश किया जाय। मंत्री घर जाकर अपनी लड़की को अपनी सखियों के साथ दरबार में आने का आदेश दिया। दूसरे दिन भरे दरबार में तीनों लड़कियाँ उपस्थित हुईं। राजा ने पहली लड़की (जो उसकी अपनी थी) से प्रश्न किया।

प्रश्न— कल तुम सखियों के साथ मेला घूमने गई थी ?

जवाब—जी हाँ, जहाँपनाह।

प्रश्न—तुम मर्द को सबसे प्रिय बतला रही थी। क्या तुमको किसी मर्द से लगाव है ? क्या तुमको व्यभिचारी नहीं माना जाय ?

जवाब—जी नहीं। मुझे किसी मर्द से बातचीत भी नहीं है।

प्रश्न—तब तुम मर्द को सबसे प्रिय वस्तु कैसे बतला रही थी ?

जवाब—जहाँपनाह ! कॉलेज जाने के रास्ते में मैंने देखा कि एक मर्द ने अपनी पत्नी को मार-मार कर लहलुहान कर दिया था, उसके बाद भी उसकी पत्नी बार-बार मर्द का पैर पकड़ती थी। मैंने सोचा कि मर्द स्त्री के लिए सबसे प्रिय होता है तभी तो इतनी मार खाने के बाद भी पत्नी उसका पैर नहीं छोड़ती। अगर मर्द स्त्री के लिए प्रिय नहीं होता तो वह मर्द को त्याग कर चल देती। (राजा ने अपनी लड़की का जवाब सुनकर उसे क्षमा कर दिया।)

प्रश्न—(दूसरी लड़की से) तुम तो मंत्री की लड़की हो और जाति के ब्राह्मण हो।

जवाब—जी हाँ !

प्रश्न—तुम्हारे घर पर माँस पकता है या तुम बाहर कहीं माँस खाती हो ?

जवाब—न मेरे घर माँस बनता है और न मैंने कभी बाहर माँस खाया है।

प्रश्न—तब तुम माँस को सर्वश्रेष्ठ किस आधार पर मानती हो ?

जवाब—मैंने अपने एक पड़ोसी को माँस लेने के लिए लम्बी कतार में खड़ा देखा। उसने बहुत कष्ट कर

माँस खरीदा। उसके परिवार ने बड़ी खुशी-खुशी माँस खाया एवं हड्डी रोड पर फेंक दी। माँस की हड्डियाँ खाने के लिए दर्जनों कुत्तों ने आपस में लड़ाई की। मैंने सोचा कि माँस ही इस संसार में सबसे प्रिय वस्तु है जिसे मानव ही नहीं जानवर भी बहुत चाव से चाहते हैं। मैंने इसी आधार पर माँस को सर्वश्रेष्ठ कहा।

(जवाब सुनकर राजा ने उसे भी माफ कर दिया)

प्रश्न—(तीसरी लड़की से) तुम किसकी लड़की हो?

जवाब—जहाँपनाह ! मैं अपने पिता का नाम नहीं जानती !

प्रश्न—तुम कैसी लड़की हो जो अपने पिता का नाम नहीं जानती ?

जवाब—मैं एक वेश्या की लड़की हूँ। मेरे पिता कौन हैं, मुझे नहीं मालूम।

प्रश्न—तुम शराब पीती हो ?

जवाब—जी नहीं।

प्रश्न—तुम शराब को सबसे प्रिय कैसे मानती हो ?

जवाब—कॉलेज जाते समय मैंने एक आदमी को लम्बी कतार में लग कर शराब लेते देखा। कॉलेज से वापस आने पर मैंने उस व्यक्ति को एक गंदी नाली में गिरते-उठते देखा। साथ ही शराब की दो बोतलों को, जो इधर-उधर फेंकी हुई थीं, बटोरते हुए देखा। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस संसार में शराब बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर अच्छी चीज नहीं होती, तो वह व्यक्ति इसे त्याग देता।

न्यायप्रिय राजा ने उसे भी क्षमादान दे दिया।



सच कहता हूँ भारत का तब, उन्नति कमल खिलेगा हिन्दी ।
सब भाषाओं से तुझको जब, ऊँचा स्थान मिलेगा हिन्दी ॥

—रामचरित उपाध्याय

सरलता और शीघ्र सीखी जाने योग्य भाषाओं में हिन्दी सर्वोपरि है।

—लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

हिन्दी उन सभी गुणों से अलंकृत है, जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में समासीन हो सकती है।

—मैथिलीशरण गुप्त

हिन्दी का प्रचार राष्ट्रीयता का प्रचार है।

—राजर्षि फुल्लोत्तमदास टंडन

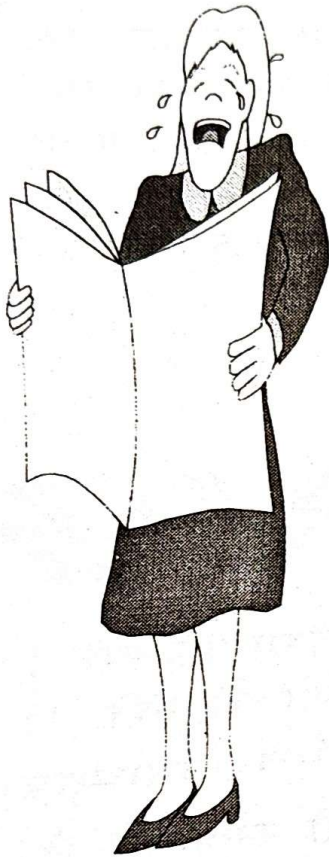
हिन्दी से किसी भारतीय भाषा को भय नहीं है। यह सबकी सहोदर है।

महादेवी वर्मा



तेरी याद किया करता हूँ

श्री शशि भूषण प्रसाद,
वरिष्ठ लेखा अधिकारी



मैं रातों रात जगा करता हूँ,
तेरी याद किया करता हूँ,
अपने ही दिल के भीतर मैं
तेरा नाम लिया करता हूँ ॥
आँखें तो मेरी हैं, लेकिन
तेरा रूप देखा करता हूँ,
तू क्या जाने मन की बातें
सारी रात जगा करता हूँ,
अपने ही दिल के भीतर तेरा
नाम लिया करता हूँ ॥
सारे लोग खफा होते हैं,
फिर भी मैं हँसा करता हूँ,
तू क्या जाने दिल की बातें,
तेरी याद किया करता हूँ ॥
भीतर से मैं टूट चुका हूँ,
फिर भी हँसते रहता हूँ,
कोई नहीं समझ पाता
मैं कितने दुख को झेला हूँ,
गुस्से से मैं पागल होता हूँ,
फिर मन को समझाता हूँ
दुनिया में जीना है तो
सब दुख को सह लेना है
जीवन रुपी नैया को हँस
कर पार लगाना है ।
तू क्या जाने दिल की बातें
तेरी याद किया करता हूँ ।





बच्चों की शिक्षा: माता-पिता की भूमिका

—श्री उमेश चौधरी
सहायक लेखा अधिकारी



बच्चे देश का भविष्य हैं। मनुष्य अपने जीवन में जो सफलता तथा महत्वाकांक्षा प्राप्त नहीं कर पाता, उसको वह अपने बच्चों में फलीभूत करना चाहता है। कुछ लोग बच्चों में अपनी महत्वाकांक्षा का प्रतिबिम्ब तो जरूर देखते हैं, लेकिन उसके लिए सकारात्मक पहल नहीं कर पाते। फलतः बच्चे सफलता के शिखर तक पहुँचने के पहले ही रास्ते से भटक जाते हैं और उनके माता-पिता अपने भाग्य को कोसने लगते हैं।

अधिकतर माता-पिता यह शिकायत करते पाये जाते हैं कि बच्चे अपने माता-पिता से पढ़ते नहीं हैं। कुछ लोग अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने बच्चों की पढ़ाई पर स्वयं ध्यान नहीं दे पाते। कुछ लोग योग्यता के अभाव में यह कार्य नहीं कर पाते हैं और कुछ लोगों के पास इतने अधिक पैसे हैं कि वे स्वयं परिश्रम नहीं करके शिक्षा को अपने बच्चों के लिए खरीद लेना चाहते हैं।

अपने बच्चों को स्वयं पढ़ाना तथा पढ़ाई के प्रति अभिरूचि पैदा करना वस्तुतः एक कठिन काम है, लेकिन थोड़ी-सी सूझ-बूझ एवं धैर्य से इस काम को आसान बनाया जा सकता है। यदि माता-पिता नियमित रूप से खेल-खेल में अपने बच्चों को शिक्षा का प्रारंभिक ज्ञान देना शुरू कर दें, तो बच्चे बिना कोई मानसिक दबाव महसूस किए तथा उत्सुकतावश उसे सीख जायेंगे। बच्चे का मस्तिष्क सादा कागज की तरह होता है, आप उस पर जो भी लिखना चाहेंगे, वह प्रिंट होता जायगा। वर्तमान समय का दौर पब्लिक

स्कूल में नामांकन का है। समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता आ रही है। लोग अपने बच्चों को अच्छी-से-अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तथा इसके लिए अधिक से अधिक खर्च करके अच्छे स्कूलों में नामांकन कराना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों में फैली अव्यवस्था तथा शिक्षा की बिगड़ती स्थिति से घबराकर कुछ लोग, जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी भी अच्छी है, अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। यह एक विडम्बना है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में नौकरी करना तो लोग पसन्द करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के बदले पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं।

यह युग प्रतियोगिता का है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिता है। अच्छे स्कूलों में नामांकन हेतु भी छोटे-छोटे बच्चों को कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। पब्लिक स्कूलों में नामांकन हेतु लिखित परीक्षा के अतिरिक्त मौखिक परीक्षा तथा व्यक्तित्व जाँच परीक्षा भी ली जाती है। यह जाँच परीक्षा आसान हो सकती है बशर्ते कि आप बच्चों की शिक्षा के प्रति शुरू से ही जागरूक एवं उत्सुक रहें। जब बच्चा बोलने लायक हो जाय तथा किसी चीज को जानने की अपनी अभिलाषा व्यक्त करे तो आप समझ लीजिए कि अब आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है तथा आपका कार्य भी बढ़ गया है। आप प्रारंभिक अवस्था में ही अपने इर्द-गिर्द तथा दैनिक उपयोग में आने वाले वस्तुओं के बारे में जानकारी देना प्रारंभ कर दें। बच्चे

को शुरू में ही लोग पापा-मम्मी, दादा-दादी आदि रिश्तों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं।

उसी तरह आप उसे शरीर के विभिन्न अंगों का नाम तथा उसकी पहचान बताने का प्रयास शुरू कर दें। धीरे-धीरे उसकी अभिलाषा और जिज्ञासा बढ़ती जायेगी और आपकी जिम्मेवारी और आपका काम। इसी तरह उसे आप सभी महीनों तथा दिनों का नाम याद करवा सकते हैं। याद रखें कि सारी बातें आप खेल-खेल में और कोई मानसिक दबाव डाले बिना करें। जिस समय बच्चा कुछ जानना नहीं चाहे उसे आप कदापि नहीं बतावें अन्यथा उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा शिक्षा के प्रति वह उदासीन हो जायगा। उसे एक कॉपी और पेंसिल भी दें जिससे वह लिखने का प्रयास करेगा हालाँकि यह मात्र एक अभ्यास होगा। जब वह कुछ लिखने लगे तो उन्हीं चीजों को लिखाने का प्रयास करें जो उसे याद हो। याद रहे आप उसे जो कुछ भी सिखाते हैं वे द्विभाषी होने चाहिए अर्थात् हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, क्योंकि आजकल बहुत सारे कॉन्वेन्ट स्कूलों में अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है तथा जाँच परीक्षा में अंग्रेजी भाषा को ही माध्यम बनाया जाता है।

बच्चों को हिन्दी तथा अंग्रेजी के अक्षरों का ज्ञान अच्छी तरह होना अत्यावश्यक है। अक्षर ज्ञान के

पश्चात् शब्द रचना बतावें। अब आप उन्हें छोटे-छोटे प्रश्न-उत्तर बताना शुरू करें; जैसे—तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिताजी माताजी का क्या नाम है, इत्यादि। उसे आप सामान्य ज्ञान की जानकारी देना भी प्रारम्भ कर दें; जैसे—सूर्य किस दिशा में उगता है, डूबता है, तुम किस राज्य में रहते हो, उस राज्य की राजधानी कहाँ है, इत्यादि। इसके अलावे शरीर के विभिन्न अंगों के नाम तथा उसके काम, विभिन्न वस्तुओं के नाम तथा उसके रंग इत्यादि का भी ज्ञान दें। आप जिस शहर में रह रहे हों वहाँ के दर्शनीय स्थान का नाम तथा उसकी महत्ता अवश्य बता दें। याद रखें, मौखिक ज्ञान, से ज्यादा प्रभावी तथा टिकाऊ होता है प्रायोगिक ज्ञान, जैसे यदि आप बच्चों को पशु या चिड़िया का नाम याद करने दें तो उसे भार महसूस होगा और जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन इसी काम को यदि आप उसे चिड़ियाँघर ले जाकर दिखाते हुए बतायें तो वह जल्दी समझेगा और उसे याद रखेगा।

बच्चे को धीरे-धीरे गिनती-पहाड़ा, जोड़, घटाव तथा गुणा-भाग का भी अभ्यास करवाने का प्रयास करें; घर में यदि दूसरे बच्चे हों तो इस कार्य को जिम्मेदारी उसे भी दें, जिससे उसमें भी कुछ सीखने-सिखाने कि प्रवृत्ति का विकास होगा तथा उसका मनोबल बढ़ेगा।

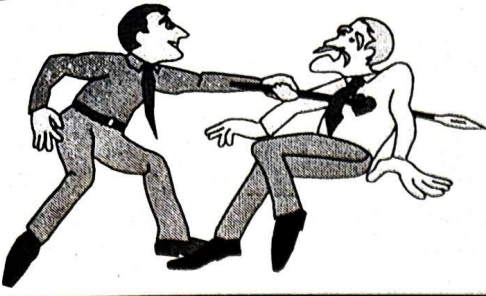
शिशु का पहला गुरु माता मानी जाती है। अतः इस कार्य में माता का दायित्व काफी अधिक बढ़ जाता है।

हिन्दी का शृंगार राष्ट्र के सभी भागों ने किया है, वह हमारी राष्ट्रभाषा है।

—चक्रवर्तीराज गोपालचारी

संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिए जाने के बाद किसी को उसके विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार नहीं है।

—कृष्ण मेनन



अपने आप को पहचानें

—डॉ० इन्द्रदेव सिंह
वरिष्ठ लेखाकार, जी. ई. अनुभाग-8

मनुष्य ईश्वर की सृष्टि का सर्वोपरि एवं सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मानव शरीर की संरचना पंच तत्त्वों से मिलकर हुई है। वे भौतिक तत्त्व क्षिति, जल, पावक, गगन एवं समीर हैं। इन भौतिक तत्त्वों से बना पुतला कमाल का है। इस हसीन शरीर में रक्त, रस, वात, पित्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

मानव शरीर पाँच ज्ञानेन्द्रियों एवं पाँच कर्मेन्द्रियों के यंत्राभूषणों से अलंकृत किया गया है। विश्व के सर्वाधिक विकास कार्य इन्हीं दशेन्द्रियों से सम्पादित होते हैं। इन दशेन्द्रियों का संचालक मस्तिष्क है जो इस क्षणिक शरीर का ग्यारहवाँ इन्द्रिय है। इसका कार्य व्यापक एवं अपरिहार्य है।

समस्त समष्टि को समाहित कर सदैव परिवर्तनीय एवं नए-नए विकास करना मस्तिष्क की उपज है। प्राकृतिक देनों से प्रेरणा ग्रहण कर प्रकृति पर विजय सिर्फ मस्तिष्क का सफल प्रयास है। सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी औद्योगिक कार्य परिशुद्ध मस्तिष्क की क्षमता का प्रतीक है। वैज्ञानिक भाषा में इसे लघु मस्तिष्क की संज्ञा दी गई है।

आज की सम्पूर्ण वैज्ञानिक प्रगति चाहे वह कृषिक्षेत्र में हो या वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति से कूटनीति के क्षेत्र में हो वे भी मस्तिष्क के अजूबे करिश्मे हैं। मस्तिष्क और आत्मा में चोली-दामन का सम्बन्ध है। आत्मा-परमात्मा का अंश है जो मस्तिष्क को सद्कर्मों में नियोजित रहने का आदेश देती है। दुष्कर्मों से सदा दूर रहने की सिफारिश करती है। जो व्यक्ति आत्मा के आदेश का पालन करते हैं वे निर्बाध गति से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और इस संसार में यशरूपी अनमोल रत्न प्राप्त करते हैं। सदा के लिए उनका नाम इस भौतिक संसार में आदर्श बनकर रह जाता है। इस यश से उनके कुल, पड़ोस,

ग्राम, जिला, प्रदेश का मस्तक गौरव से उन्नति के उच्च शिखर पर अग्रसर होते परिलक्षित होता है।

इसका दूसरा पक्ष द्वेष, जलन, परिशोध, कलंक, अवर्णित, कलह, बेचैनी, दुःख, कष्ट, दारिद्र्य, शोक, अनीति, झूठ, अन्याय, उत्पीड़न, बेईमानी, चोरी, धोखा, देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह आदि दुष्परिणामों से भरपूर है। यह स्थिति उस समय शासक बन बैठती है जब आत्मा की राय मस्तिष्क नहीं मानता है। कभी-कभी देखा गया है कि सत्य कर्मियों को असत्यकर्मों सिद्ध करने में संलग्न आत्माएँ स्वयं व्यथित हो उठती हैं। साथ-ही-साथ वे अपने परिवार में विषारोपण कर बैठते हैं। काश ऐसी आत्माएँ यदि स्वसंस्कार में संलग्न होतीं तो उनसे कम समय में ही आशातीत यश प्राप्त कर लेती। उनके द्वारा ज्ञान का सदुपयोग स्वयं समाज, देश, राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय विकास का परिचायक बनता। उस भौतिक जीवन में स्वर्ग का शासन होता। चहुँदिसि ज्ञान ज्योति प्रज्वलित होकर प्रेमरूपी अमृत की धारा प्रवाहित होती। इस भौतिक स्थल पर निवास करने के लिए देवी और देवता तरसने लगते।

आधुनिक मानव काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ के व्यसन में पूर्ण रूप से संलग्न है। यही कारण है कि उसे दैहिक, आध्यात्मिक सुख दुर्लभ हैं। धन, पुत्र, ऊँची अट्टालिकाएँ, मोटर, बंगला, फैक्टरी, जमीन, सुन्दरता एवं ऊँची-ऊँची डिग्रियों के अहंकार में डूबे हुए मनुष्यों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि ये सभी ऐश्वर्य क्षणमात्र के लिए हैं, जो अपने नहीं हैं, ये सभी इसी धरा पर छूट जाएँगे। सिर्फ उसके आत्मा के साथ उसके सत्यकर्म और यश ही जाएँगे।

इसलिए निश्चल भाव से शिष्टाचार का पालन करते हुए स्वात्मा की पुकार सुननी चाहिए एवं पर आत्मा को अधिनौने कार्यों से मुक्त रखना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ कर्म यही अपनी सच्ची पहचान है।

1.1 हिन्दी में टिप्पणी

“क” क्षेत्र

“क” क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों कार्यालयों आदि (निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि सहित) में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी 33%।

नियम 8 (4) तथा 10 (4)

“ख” क्षेत्र

“ख” क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि (निगमों, उपक्रमों, और बैंकों आदि सहित) में कार्यरत हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान तथा प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/ कर्मचारी 25%

—नियम 8 (4) तथा 10 (4)

“ग” क्षेत्र

“ग” क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों /विभागों/केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि (निगमों/उपक्रमों /बैंकों आदि सहित) में कार्यरत हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान तथा प्रवीणता प्राप्त अधिकार / कर्मचारी – 10%

—नियम 8 (4) 10 (4)

1.2 हिन्दी में पत्राचार

“क” क्षेत्र (तार-बेतार, टेलेक्स, फैक्स आदि सहित)

(अ) “क” क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों आदि (निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि सहित) से “क” और “ख” क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और उसके कार्यालयों तथा उनमें व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्रादि – 100%

– नियम 3 (1), 3 (2) (क), 4 (ख), 4 (ग)

(आ) “क” क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों आदि (निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि सहित) से “ग” क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि को भेजे जाने वाले पत्रादि 55%

—नियम 4 (ब)
(अधिसूचित कार्यालयों को छोड़कर शेष को अंग्रेजी अनुवाद भेजा जाए।)

“ख” क्षेत्र

(अ) “ख” क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों आदि से “क” तथा “ख” क्षेत्रों में स्थित मंत्रालयों / विभागों / केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि (निगमों, उपक्रमों बैंकों आदि सहित) को भेजे जाने वाले पत्रादि 85%

—नियम 4 (ब)

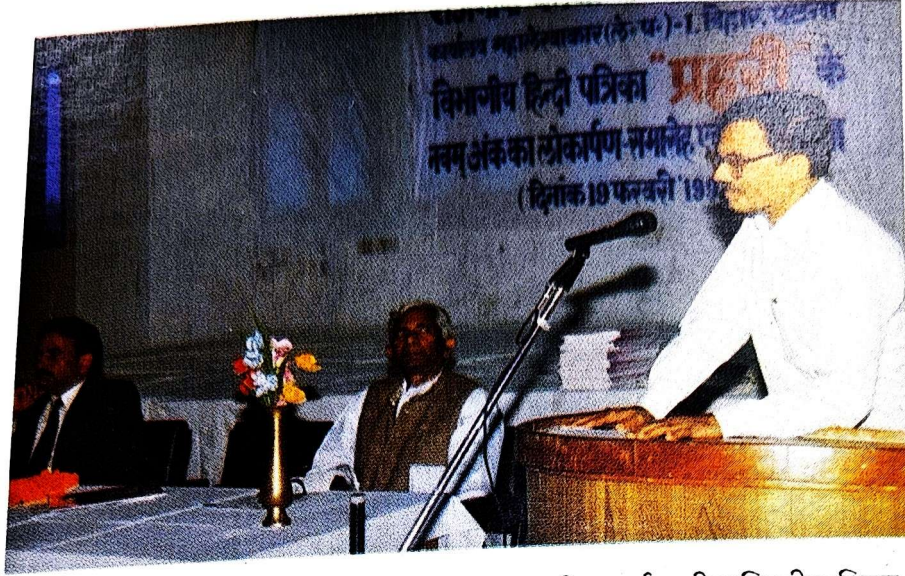
(आ) “ख” क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों / केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों (निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि सहित) आदि से “ग” क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों (निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि सहित) को भेजे जाने वाले पत्रादि 55%

—नियम 4 (ड)

(अधिसूचित कार्यालयों को छोड़कर शेष को अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाए)।

(इ) “ख” क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि (निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि सहित) आदि से “क” और “ख” क्षेत्रों में किसी राज्य, संघ सरकार, संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालयों अथवा व्यक्तियों आदि को भेजे जाने वाले पत्रादि 100 %

—नियम 3 (1), 3 (2) (क), 3 (2) (ख)



महालेखाकार (ले०प०)-I, बिहार, पटना की कार्यालयीन हिन्दी पत्रिका 'प्रहरी' के लोकार्पण समारोह में अध्यक्षीय भाषण करते हुए श्री अरुण कुमार सिंह, महालेखाकार (ले० एवं ह०)-II, बिहार, पटना।



विगत हिन्दी-पखवाड़ा-समारोह के उपलक्ष पर 'कवि-सम्मेलन' में भाग लेते हुए कवि-वृन्द।



हिन्दी-पखवाड़ा-समारोह के उपलक्ष में कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से हिन्दी में शत-प्रतिशत कार्य करने की अपील करते हुए श्री अरुण कुमार सिंह, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II, बिहार, पटना।



हिन्दी पत्रिका 'चेतना' के आठवें अंक के लोकार्पण समारोह के शुभ अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की झलक।